रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—05 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 2005/आषाढ़ 2, 1927
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2005/ASADHA 2, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 23rd June, 2005/Asadha 2, 1927 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 23rd June, 2005, and is hereby published for general information:—

THE SPECIAL ECONOMIC ZONES ACT, 2005

No. 28 OF 2005

[*23rd June*, 2005.]

An Act to provide for the establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion of exports and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Special Economic Zones Act, 2005.

(*2*) It extends to the whole of India.

(*3*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "appointed day" with reference to a Special Economic Zone means the date on which the Special Economic Zone is notified by the Central Government under sub-section (*1*) of section 4;

(*b*) "Approval Committee" means an Approval Committee constituted under sub-section (*1*) of section 13;

(*c*) "authorised operations" means operations which may be authorised under sub-section (*2*) of section 4 and sub-section (*9*) of section 15;

(*d*) "Authority" means a Special Economic Zone Authority constituted under sub-section (*1*) of section 31;

(*e*) "Board" means the Board of Approval constituted under sub-section (*1*) of section 8;

(*f*) "Co-Developer" means a person who, or a State Government which, has been granted by the Central Government a letter of approval under sub-section (*12*) of section 3;

(*g*) "Developer" means a person who, or a State Government which, has been granted by the Central Government a letter of approval under sub-section (*10*) of section 3 and includes an Authority and a Co-Developer;

(*h*) "Development Commissioner" means the Development Commissioner appointed for one or more Special Economic Zones under sub-section (*1*) of section 11;

(*i*) "Domestic Tariff Area" means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones;

(*j*) "entrepreneur" means a person who has been granted a letter of approval by the Development Commissioner under sub-section (*9*) of section 15;

(*k*) "existing Special Economic Zone" means every Special Economic Zone which is in existence on or before the commencement of this Act;

(*l*) "existing Unit" means every Unit which has been set up on or before the commencement of this Act in an existing Special Economic Zone;

(*m*) "export" means—

(*i*) taking goods, or providing services, out of India, from a Special Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode, whether physical or otherwise; or

(*ii*) supplying goods, or providing services, from the Domestic Tariff Area to a Unit or Developer; or

(*iii*) supplying goods, or providing services, from one Unit to another Unit or Developer, in the same or different Special Economic Zone;

(*n*) "Free Trade and Warehousing Zone" means a Special Economic Zone wherein mainly trading and warehousing and other activities related thereto are carried on;

(*o*) "import" means—

(*i*) bringing goods or receiving services, in a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by anv other mode, whether physical or otherwise; or

(*ii*) receiving goods, or services by a Unit or Developer from another Unit or Developer of the same Special Economic Zone or a different Special Economic Zone;

(*p*) "infrastructure facilities" means industrial, commercial or social infrastructure or other facilities necessary for the development of a Special Economic Zone or such other facilities which may be prescribed;

(*q*) "International Financial Services Centre" means an International Financial Services Centre which has been approved by the Central Government under sub-section (*1*) of section 18;

(*r*) "manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, cutting, polishing, blending, repair, remaking, re-engineering and includes agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining;

(*s*) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(*t*) "notified offences" means the offences specified as such under sub-section (*1*) of section 21;

(*u*) "Offshore Banking Unit" means a branch of a bank located in a Special Economic Zone and which has obtained the permission under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949; 10 of 1949.

(*v*) "person" includes an individual, whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, co-operative society, a company, whether incorporated in India or outside India, a firm, proprietary concern, or an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, local authority and any agency, office or branch owned or controlled by such individual, Hindu undivided family, co-operative, association, body, authority or company;

(*w*) "prescribed" means prescribed by rules made by the Central Government under this Act;

(*x*) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934; 2 of 1934.

(*y*) "Schedule" means Schedules to this Act;

(*z*) "services" means such tradable services which,—

(*i*) are covered under the General Agreement on Trade in Services annexed as IB to the Agreement establishing the World Trade Organisation concluded at Marrakesh on the 15th day of April, 1994;

(*ii*) may be prescribed by the Central Government for the purposes of this Act; and

(*iii*) earn foreign exchange;

(*za*) "Special Economic Zone" means each Special Economic Zone notified under the proviso to sub-section (*4*) of section 3 and sub-section (*1*) of section 4 (including Free Trade and Warehousing Zone) and includes an existing Special Economic Zone;

(*zb*) "State Government" means a State Government of the State in which a Special Economic Zone is established or proposed to be established;

(*zc*) "Unit" means a Unit set up by an entrepreneur in a Special Economic Zone and includes an existing Unit, an Offshore Banking Unit and a Unit in an International Financial Services Centre, whether established before or established after the commencement of this Act;

(*zd*) all other words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Central Excise Act, 1944, the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Income-tax Act, 1961, the Customs Act, 1962 and the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts. 1 of 1944 65 of 1951 43 of 1961 52 of 1962 22 of 1992

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE

Procedure for making proposal to establish Special Economic Zone.

3. (*1*) A Special Economic Zone may be established under this Act, either jointly or severally by the Central Government, State Government, or any person for manufacture of goods or rendering services or for both or as a Free Trade and Warehousing Zone.

(*2*) Any person, who intends to set up a Special Economic Zone, may, after identifying the area, make a proposal to the State Government concerned for the purpose of setting up the Special Economic Zone.

(*3*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*2*), any person, who intends to set up a Special Economic Zone, may, after identifying the area, at his option, make a proposal directly to the Board for the purpose of setting up the Special Economic Zone:

Provided that where such a proposal has been received directly from a person under this sub-section, the Board may grant approval and after receipt of such approval, the person concerned shall obtain the concurrence of the State Government within the period, as may be prescribed.

(*4*) In case a State Government intends to set up a Special Economic Zone, it may after identifying the area, forward the proposal directly to the Board for the purpose of setting up the Special Economic Zone:

Provided that the Central Government may,—

(*a*) after consulting the State Government concerned;

(*b*) without referring the proposal for setting up the Special Economic Zone to the Board; and

(*c*) after identifying the area,

suo motu set up and notify the Special Economic Zone.

(*5*) Every proposal under sub-sections (*2*) to (*4*) shall be made in such form, and, manner, containing such particulars as may be prescribed.

(*6*) The State Government may, on receipt of the proposal made under sub-section (*2*), forward the same together with its recommendations to the Board within such period as may be prescribed.

(*7*) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (*8*), the Board may, after receipt of the proposal under sub-sections (*2*) to (*4*), approve the proposal subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose, or modify or reject the proposal.

(*8*) The Central Government may prescribe the following requirements for establishment of a Special Economic Zone, namely:—

(*a*) the minimum area of land and other terms and conditions subject to which the Board shall approve, modify or reject any proposal received by it under sub-sections (*2*) to (*4*); and

(*b*) the terms and conditions, subject to which the Developer shall undertake the authorised operations and his obligations and entitlements:

Provided that different minimum area of land and other terms and conditions referred to in clause (*a*) may be prescribed by the Central Government for a class or classes of Special Economic Zones.

(*9*) If the Board,—

(*a*) approves without any modification the proposal received under sub-sections (*2*) to (*4*), it shall communicate the same to the Central Government;

(*b*) approves with modifications the proposal received under sub-sections (*2*) to (*4*), it shall, communicate such modifications to the person or the State Government concerned and if such modifications have been accepted by such person or State Government, the Board shall communicate the approval to the Central Government;

(*c*) rejects the proposal received under sub-sections (*2*) to (*4*), it shall record the reasons therefor and communicate the rejection to the Central Government which shall intimate to the State Government or the person concerned.

(*10*) The Central Government shall, on receipt of communication under clause (*a*) or clause (*b*) of sub-section (*9*), grant, within such time as may be prescribed, a letter of approval on such terms and conditions and obligations and entitlements as may be approved by the Board, to the Developer, being the person or the State Government concerned:

Provided that the Central Government may, on the basis of approval of the Board, approve more than one Developer in a Special Economic Zone in cases where one Developer does not have in his possession the minimum area of contiguous land, as may be prescribed, for setting up a Special Economic Zone and in such cases, each Developer shall be considered as a Developer in respect of the land in his possession.

(*11*) Any person who, or a State Government which, intends to provide any infrastructure facilities in the identified area referred to in sub-sections (*2*) to (*4*), or undertake any authorised operation may, after entering into an agreement with the Developer referred to in sub-section (*10*), make a proposal for the same to the Board for its approval and the provisions of sub-section (*5*) and sub-sections (*7*) to (*10*) shall, as far as may be, apply to the said proposal made by such person or the State Government.

(*12*) Every person or the State Government referred to in sub-section (*11*), whose proposal has been approved by the Board and who, or which, has been granted letter of approval by the Central Government, shall be considered as a Co-Developer of the Special Economic Zone.

(*13*) Subject to the provisions of this section and the letter of approval granted to a Developer, the Developer may allocate space or built up area or provide infrastructure services to the approved Units in accordance with the agreement entered into by him with the entrepreneurs of such Units.

Establishment of Special Economic Zone and approval and authorisation to operate it to, Developer.

4. (*1*) The Developer shall, after the grant of letter of approval under sub-section (*10*) of section 3, submit the exact particulars of the identified area referred to in sub-sections (*2*) to (*4*) of that section, to the Central Government and thereupon that Government may, after satisfying that the requirements, under sub-section (*8*) of section 3 and other requirements, as may be prescribed, are fulfilled, notify the specifically identified area in the State as a Special Economic Zone:

Provided that an existing Special Economic Zone shall be deemed to have been notified and established in accordance with the provisions of this Act and the provisions of this Act shall, as far as may be, apply to such Zone accordingly:

Provided further that the Central Government may, after notifying the Special Economic Zone, if it considers appropriate, notify subsequently any additional area to be included as a part of that Special Economic Zone.

(*2*) After the appointed day, the Board may, authorise the Developer to undertake in a Special Economic Zone, such operations which the Central Government may authorise.

Guidelines for notifying Special Economic Zone.

5. The Central Government, while notifying any area as a Special Economic Zone or an additional area to be included in the Special Economic Zone and discharging its functions under this Act, shall be guided by the following, namely:—

(*a*) generation of additional economic activity;

(*b*) promotion of exports of goods and services;

(*c*) promotion of investment from domestic and foreign sources;

(*d*) creation of employment opportunities;

(*e*) development of infrastructure facilities; and

(*f*) maintenance of sovereignty and integrity of India, the security of the State and friendly relations with foreign States.

Processing and non-processing areas.

6. The areas falling within the Special Economic Zones may be demarcated by the Central Government or any authority specified by it as—

(*a*) the processing area for setting up Units for activities, being the manufacture of goods, or rendering services; or

(*b*) the area exclusively for trading or warehousing purposes; or

(*c*) the non-processing areas for activities other than those specified under clause (*a*) or clause (*b*).

Exemption from taxes, duties or cess.

7. Any goods or services exported out of, or imported into, or procured from the Domestic Tariff Area by,—

(*i*) a Unit in a Special Economic Zone; or

(*ii*) a Developer,

shall, subject to such terms, conditions and limitations, as may be prescribed, be exempt from the payment of taxes, duties or cess under all enactments specified in the First Schedule.

CHAPTER III

CONSTITUTION OF BOARD OF APPROVAL

Constitution of Board of Approval.

8. (*1*) The Central Government shall, within fifteen days of the commencement of this Act, by notification, constitute, for the purposes of this Act, a Board to be called the Board of Approval.

(*2*) The Board shall consist of—

(*a*) an officer not below the rank of an Additional Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of the Central Government dealing with commerce—Chairperson, *ex officio;*

(*b*) two officers, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to be nominated by the Central Government to represent the Ministry or Department of the Central Government dealing with revenue—Members, *ex officio;*

(*c*) one officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government to represent the Ministry or Department of the Central Government dealing with economic affairs (financial services)— Member, *ex officio*;

(*d*) such number of officers, not exceeding ten, not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India, to be nominated by the Central Government to represent the Ministries or Departments of the Central Government dealing with commerce, industrial policy and promotion, science and technology, small scale industries and agro and rural industries, home affairs, defence, environment and forests, law, overseas Indian affairs and urban development—Members, *ex officio;*

(*e*) a nominee of the State Government concerned—Member, *ex officio;*

(*f*) the Director General of Foreign Trade or his nominee—Member, *ex officio;*

(*g*) the Development Commissioner concerned—Member, *ex officio;*

(*h*) a Professor in the Indian Institute of Management, being a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Institute of Foreign Trade, being a society registered under the Societies Registration Act, 1860, as may be, nominated by the Central Government—Member, *ex officio;* 21 of 1860.

(*i*) an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India dealing with the Special Economic Zones in the Ministry or Department of the Central Government, dealing with commerce to be nominated by the Central Government—Member-Secretary, *ex officio*:

Provided that the member, being the Joint Secretary, nominated under clauses (*b*) to (*d*) of this sub-section may, if he is unable to attend the meeting of the Board, authorise any other officer to attend the meeting of the Board on his behalf.

(3) The term of office of an *ex officio* Member shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was so nominated.

(4) For the purposes of performing its functions, the Board may co-opt as members, such number of persons as it deems fit, who have special knowledge of, and practical experience in, matters relating to, or relevant to activity connected with the Special Economic Zones and any such person shall have the right to take part in the discussions of the Board but shall not be counted for the quorum and shall not be a member for any other purpose and such person shall be entitled to receive such allowances or fees, as the case may be, fixed by the Board.

(5) The Board shall meet at such times and places as may be appointed by it and shall have the power to regulate its own procedure.

(6) One-third of the total Members of the Board shall form a quorum, and all the acts of the Board shall be decided by a general consensus of the Members present.

(7) No act or proceeding of the Board shall be called in question on the ground merely of existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Board.

(8) All orders and decisions of the Board and all other instruments issued by it shall be authenticated by the signature of the Member-Secretary, or any other Member as may be authorised by the Board in this behalf.

Duties, powers and functions of Board.

9. (1) Subject to the provisions of this Act, the Board shall have the duty to promote and ensure orderly development of the Special Economic Zones.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the powers and functions of the Board shall include—

(a) granting of approval or rejecting proposal or modifying such proposals for establishment of the Special Economic Zones;

(b) granting approval of authorised operations to be carried out in the Special Economic Zones by the Developer;

(c) granting of approval to the Developers or Units (other than the Developers or the Units which are exempt from obtaining approval under any law or by the Central Government) for foreign collaborations and foreign direct investments (including investments by a person resident outside India), in the Special Economic Zone for its development, operation and maintenance;

(d) granting of approval or rejecting of proposal for providing infrastructure facilities in a Special Economic Zone or modifying such proposals;

65 of 1951.

(e) granting, notwithstanding anything contained in the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, a licence to an industrial undertaking referred to in clause (d) of section 3 of that Act, if such undertaking is established, as a whole or part thereof, or proposed to be established, in a Special Economic Zone;

(f) suspension of the letter of approval granted to a Developer and appointment of an Administrator under sub-section (1) of section 10;

(g) disposing of appeals preferred under sub-section (4) of section 15;

(h) disposing of appeals preferred under sub-section (4) of section 16;

(i) performing such other functions as may be assigned to it by the Central Government.

(3) The Board may, if so required for the purposes of this Act or any other law for the time being in force relating to Special Economic Zones, by notification, decide as to whether a particular activity constitutes manufacture as defined in clause (r) of section 2 and such decision of the Board shall be binding on all Ministries and Departments of the Central Government.

(4) The Board may delegate such powers and functions as it may deem fit to one or more Development Commissioners for effective and proper discharge of the functions of the Board.

(5) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Board shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Act, be bound by such

directions on q estions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time.

(6) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.

Suspension of letter of approval and transfer of Special Economic Zone in certain cases

10. (1) If, at any time, the Board is of the opinion that a Developer—

(a) is unable to discharge the functions or perform the duties imposed on him by or under the provisions of this Act or rules made thereunder; or

(b) has persistently defaulted in complying with any direction given by the Board under this Act; or

(c) has violated the terms and conditions of the letter of approval; or

(d) whose financial position is such that he is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on him by the letter of approval, and

the circumstances exist which render it necessary for it in public interest so to do, the Board may, on application, or with the consent of the Developer, or otherwise, for reasons to be recorded in writing, suspend the letter of approval, granted to the Developer for a whole or part of his area established as Special Economic Zone, for a period not exceeding one year and appoint an Administrator to discharge the functions of the Developer in accordance with the terms and conditions of the letter of approval and manage the Special Economic Zone accordingly.

(2) Consequent upon appointment of an Administrator, the management of the Special Economic Zone of the Developer referred to in sub-section (1) shall vest in the Administrator.

(3) No letter of approval shall be suspended under sub-section (1) unless the Board has given to the Developer not less than three months' notice, in writing, stating the grounds on which it proposes to suspend the letter of approval, and has considered any cause shown by the Developer within the period of that notice, against the proposed suspension.

(4) The Board may, instead of suspending the letter of approval under sub-section (1), permit it to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon and be complied with by the Developer and shall be of like force and effect as if they were contained in the letter of approval.

(5) In case the Board suspends a letter of approval under this section, it shall serve a notice of suspension upon the Developer and fix a date on which the suspension shall take effect.

(6) Upon suspension of the letter of approval under sub-section (1), the Special Economic Zone of the Developer referred to in sub-section (5) shall vest in the Administrator under sub-section (2) for a period not exceeding one year or up to the date on which the letter of approval for such Special Economic Zone is transferred, whichever is earlier, in accordance with the provisions contained in sub-sections (7) and (9), as the case may be.

(7) Where the Board has given notice for suspension of letter of approval under sub-section (5), the Developer may, after prior approval of the Board, transfer his letter of approval to any person who is found eligible by the Board for grant of such approval.

(8) If at any time, it appears to the Board that the purpose of the order appointing the Administrator has been fulfilled or that for any reason it is undesirable that the order of appointment should remain in force, the Board may cancel the order and thereupon the Administrator shall be divested of the management of the Special Economic Zone which shall, unless otherwise directed by the Board, again vest in the person, being the Developer, in whom it was vested immediately prior to the date of appointment of the Administrator.

(9) Where the Board suspends the letter of approval, under this section, in respect of any Developer, the following provisions shall apply, namely:—

(a) the Board shall invite applications for transferring the letter of approval of the Developer, whose approval has been suspended and select the person or persons, in accordance with the procedure as may be prescribed, to whom the letter of approval of the Developer in the Special Economic Zone may be transferred;

(*b*) upon selection of person or persons under sub-clause (*a*), the Board may, by notice in writing, require the Developer to transfer his letter of approval in a Special Economic Zone to the person or persons so selected and thereupon the Developer shall transfer his interests, rights and liabilities in the Special Economic Zone to any of the persons (hereafter in this section referred to as the "transferee") who has been selected by the Board on such terms and conditions and consideration as may be agreed upon between the Developer and the transferee;

(*c*) all the rights, duties, obligations and liabilities of the Developer, on and from the date of suspension of letter of approval or on and from the date, if earlier, on which his letter of approval in the Special Economic Zone of the Developer has been transferred to the transferee, shall cease absolutely except for any liabilities which have accrued prior to that date;

(*d*) the Board may make such interim arrangements in regard to the operation of the Special Economic Zone as may be considered appropriate;

(*e*) the Administrator shall exercise such powers and discharge such functions as the Board may direct.

(*10*) The Board may, in order to promote export or to protect the interest of Units or in the public interest, issue such directions or formulate such scheme as it may consider necessary for operation of the Special Economic Zone.

CHAPTER IV

DEVELOPMENT COMMISSIONER

Development Commissioner.

11. (*1*) The Central Government may appoint any of its officers not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India as the Development Commissioner of one or more Special Economic Zones.

(*2*) The Central Government may appoint such officers and other employees as it considers necessary to assist the Development Commissioner in the performance of his functions in the Special Economic Zones established by a Developer (other than the Central Government) under this Act on such terms and conditions as it deems fit.

(*3*) Every Development Commissioner, officer and other employee shall be entitled to such salary and allowances and subject to such terms and conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may, from time to time, be specified by the Central Government.

Functions of Development Commissioner.

12. (*1*) Every Development Commissioner shall take all steps in order to discharge his functions under this Act to ensure speedy development of the Special Economic Zone and promotion of exports therefrom.

(*2*) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Development Commissioner shall—

(*a*) guide the entrepreneurs for setting up of Units in the Special Economic Zone;

(*b*) ensure and take suitable steps for effective promotion of exports from the Special Economic Zone;

(*c*) ensure proper co-ordination with the Central Government or State Government Departments concerned or agencies with respect to, or for the purposes, of clauses (*a*) and (*b*);

(*d*) monitor the performance of the Developer and the Units in a Special Economic Zone;

(*e*) discharge such other functions as may be assigned to him by the Central Government under this Act or any other law for the time being in force; and

(*f*) discharge such other functions as may be delegated to him by the Board.

(*3*) Every Development Commissioner shall be overall in-charge of the Special Economic Zone and shall exercise administrative control and supervision over the officers and employees appointed under sub-section (*2*) of section 11 (including the officials deputed to such Special Economic Zone) to discharge any of the functions under this Act.

(*4*) Without prejudice to the provisions of sub-sections (*1*) to (*3*), every Development Commissioner shall discharge such functions and exercise such powers as may be delegated to him by a general or special order by the Central Government or the State Government concerned, as the case may be.

(*5*) Every Development Commissioner may call for such information from a Developer or Unit from time to time as may be necessary to monitor the performance of the Developer or the Unit, as the case may be.

(*6*) The Development Commissioner may delegate any or all of his powers or functions to any of the officers employed under him.

CHAPTER V

SINGLE WINDOW CLEARANCE

Constitution of Approval Committee.

13. (*1*) The Central Government shall,—

(*a*) in the case of existing Special Economic Zones, within six months from the date of commencement of this Act;

(*b*) in case of other Special Economic Zones established after the commencement of this Act, within six months from the date of establishment of such Special Economic Zone,

by notification, constitute a Committee for every Special Economic Zone, to be called the Approval Committee to exercise the powers and perform the functions specified in section 14.

(*2*) Every Approval Committee shall consist of—

(*a*) the Development Commissioner—Chairperson, *ex officio*;

(*b*) two officers of the Central Government to be nominated by that Government—Members, *ex officio*;

(*c*) two officers of the Central Government to be nominated by that Government to represent the Ministry or Department dealing with revenue—Members, *ex officio;*

(*d*) one officer of the Central Government to be nominated by that Government to represent the Ministry or Department dealing with economic affairs (financial services)—Member, *ex officio;*

(*e*) two officers of the State Government concerned to be nominated by that State Government—Members, *ex officio;*

(*f*) a representative of the Developer concerned—Special invitee.

(*3*) For the purpose of exercising its powers and performing its functions, the Approval Committee may invite to its meetings, such persons as the Committee deems fit, whose assistance or advice it may consider necessary.

(*4*) Every Approval Committee shall meet at such times and places as it considers necessary and shall have the power to regulate its own procedure.

(*5*) One-half of the total Members of the Approval Committee shall form a quorum, and all the acts of the Approval Committee shall be decided by a general consensus of the Members present:

Provided that in case the Approval Committee is unable to decide any matter by a general consensus, such matter shall stand referred to the Board of Approval for its decision.

(*6*) No act of the Approval Committee shall be called in question on the ground merely of existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Approval Committee.

(*7*) All orders and decisions of the Approval Committee and all other communications issued by it shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any other member as may be authorised by the Approval Committee in this behalf.

(*8*) The term of office of an *ex officio* Member shall come to an end as soon as he ceases to hold office by virtue of which he was so nominated.

Powers and functions of Approval Committee.

14. (*1*) Every Approval Committee may discharge the functions and exercise the powers in respect of the following matters, namely:—

(*a*) approve the import or procurement of goods from the Domestic Tariff Area, in the Special Economic Zone for carrying on the authorised operations by a Developer;

(*b*) approve the providing of services by a service provider, from outside India, or from the Domestic Tariff Area, for carrying on the authorised operations by the Developer, in the Special Economic Zone;

(*c*) monitor the utilisation of goods or services or warehousing or trading in the Special Economic Zone;

(*d*) approve, modify or reject proposals for setting up Units for manufacturing or rendering services or warehousing or trading in the Special Economic Zone [other than the grant of licence under clause (*e*) of sub-section (*2*) of section 9] in accordance with the provisions of sub-section (*8*) of section 15:

Provided that where the Approval Committee is unable to decide whether a particular process constitutes manufacture or not it shall refer the same to the Board of Approval for decision;

(*e*) allow, on receipt of approval under clause (*c*) of sub-section (*2*) of section 9, foreign collaborations and foreign direct investments (including investments by a person outside India) for setting up a Unit;

(*f*) monitor and supervise compliance of conditions subject to which the letter of approval or permission, if any, has been granted to the Developer or entrepreneur; and

(*g*) perform such other functions as may be entrusted to it by the Central Government or the State Government concerned, as the case may be.

(*2*) The Approval Committee shall not discharge such functions and exercise such powers referred to in sub-section (*1*) in relation to a Developer, being the Central Government, as may be specified, by notification, by the Central Government :

Provided that till such time, the Approval Committee is constituted, the concerned Development Commissioner shall discharge all functions and exercise all powers of the Approval Committee.

Setting up of Unit.

15. (*1*) Any person, who intends to set up a Unit for carrying on the authorised operations in a Special Economic Zone, may submit a proposal to the Development Commissioner concerned in such form and manner containing such particulars as may be prescribed:

Provided that an existing Unit shall be deemed to have been set up in accordance with the provisions of this Act and such Units shall not require approval under this Act.

(*2*) On receipt of the proposal under sub-section (*1*), the Development Commissioner shall submit the same to the Approval Committee for its approval.

(*3*) The Approval Committee may, either approve the proposal without modification, or approve the proposal with modifications subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose, or reject the proposal in accordance with the provisions of sub-section (*8*):

Provided that in case of modification or rejection of a proposal, the Approval Committee shall afford a reasonable opportunity of being heard to the person concerned and after recording the reasons, either modify or reject the proposal.

(*4*) Any person aggrieved by an order of the Approval Committee, made under sub-section (*3*), may prefer an appeal to the Board within such time as may be prescribed.

(*5*) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the time prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfies the Board that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed time.

(6) Every appeal made under sub-section (4) shall be in such form and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and by such fees as may be prescribed.

(7) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed:

Provided that before disposing of an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(8) The Central Government may prescribe,—

(a) the requirements (including the period for which a Unit may be set up) subject to which the Approval Committee shall approve, modify or reject any proposal referred to in sub-section (3);

(b) the terms and conditions, subject to which the Unit shall undertake the authorised operations and its obligations and entitlements.

(9) The Development Commissioner may, after approval of the proposal referred to in sub-section (3), grant a letter of approval to the person concerned to set up a Unit and undertake such operations which the Development Commissioner may authorise and every such operation so authorised shall be mentioned in the letter of approval.

Cancellation of letter of approval to entrepreneur.

16. (1) The Approval Committee may, at any time, if it has any reason or cause to believe that the entrepreneur has persistently contravened any of the terms and conditions or its obligations subject to which the letter of approval was granted to the entrepreneur, cancel the letter of approval:

Provided that no such letter of approval shall be cancelled unless the entrepreneur has been afforded a reasonable opportunity of being heard.

(2) Where the letter of approval has been cancelled under sub-section (1), the Unit shall not, from the date of such cancellation, be entitled to any exemption, concession, benefit or deduction available to it, being a Unit, under this Act.

(3) Without prejudice to the provisions of this Act, the entrepreneur whose letter of approval has been cancelled under sub-section (1), shall remit, the exemption, concession, drawback and any other benefit availed by him in respect of the capital goods, finished goods lying in stock and unutilised raw materials relatable to his Unit, in such manner as may be prescribed.

(4) Any person aggrieved by an order of the Approval Committee made under sub-section (1), may prefer an appeal to the Board within such time as may be prescribed.

(5) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the time prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfies the Board that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed time.

(6) Every appeal made under sub-section (4) shall be in such form and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and by such fees as may be prescribed.

(7) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed:

Provided that before disposing of an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

Setting up and operation of Offshore Banking Unit.

17. (1) An application for setting up and operation of an Offshore Banking Unit in a Special Economic Zone may be made to the Reserve Bank in such form and manner as may be prescribed.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Reserve Bank shall, if it is satisfied that the applicant fulfils all the conditions specified under sub-section (3), grant permission to such applicant for setting up and operation of an Offshore Banking Unit.

(3) The Reserve Bank may, by notification, specify the terms and conditions subject to which an Offshore Banking Unit may be set up and operated in the Special Economic Zone.

Setting up of International Financial Services Centre.

18. (*1*) The Central Government may approve the setting up of an International Financial Services Centre in a Special Economic Zone and prescribe the requirements for setting up and operation of such Centre:

Provided that the Central Government shall approve only one International Financial Services Centre in a Special Economic Zone.

(*2*) The Central Government may, subject to such guidelines as may be framed by the Reserve Bank, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority and such other concerned authorities, as it deems fit, prescribe the requirements for setting up and the terms and conditions of the operation of Units in an International Financial Services Centre.

Single application form, return, etc.

19. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Central Government may, if required,—

(*a*) prescribe a single application form for obtaining any licence, permission or registration or approval by a Developer, or an entrepreneur under one or more Central Acts;

(*b*) authorise the Board, the Development Commissioner or Approval Committee, to exercise the powers of the Central Government on matters relating to the development of a Special Economic Zone or setting up and operation of Units;

(*c*) prescribe a single form for furnishing returns or information by a Developer or an entrepreneur under one or more Central Acts.

Agency to inspect.

20. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Central Government may, by notification, specify any officer or agency to carry out surveys or inspections for securing of compliance with the provisions of any Central Act by a Developer or an entrepreneur, as the case may be, and such officer or agency shall submit verification and compliance reports, in such manner and within such time as may be specified in the said notification.

Single enforcement officer or agency for notified offences.

21. (*1*) The Central Government may, by notification, specify any act or omission made punishable under any Central Act, as notified offence for the purposes of this Act.

(*2*) The Central Government may, by general or special order, authorise any officer or agency to be the enforcement officer or agency in respect of any notified offence or offences committed in a Special Economic Zone.

(*3*) Every officer or agency authorised under sub-section (*2*) shall have all the corresponding powers of investigation, inspection, search or seizure as is provided under the relevant Central Act in respect of the notified offences.

Investigation, inspection, search or seizure.

22. The agency or officer, specified under section 20 or section 21, may, with prior intimation to the Development Commissioner concerned, carry out the investigation, inspection, search or seizure in the Special Economic Zone or in a Unit if such agency or officer has reasons to believe (reasons to be recorded in writing) that a notified offence has been committed or is likely to be committed in the Special Economic Zone:

Provided that no investigation, inspection, search or seizure shall be carried out in a Special Economic Zone by any agency or officer other than those referred to in sub-section (*2*) or sub-section (*3*) of section 21 without prior approval of the Development Commissioner concerned:

Provided further that any officer or agency, if so authorised by the Central Government, may carry out the investigation, inspection, search or seizure in the Special Economic Zone or Unit without prior intimation or approval of the Development Commissioner.

Designated Courts to try suits and notified offences.

23. (*1*) The State Government, in which the Special Economic Zone is situated, may, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of that State, designate one or more courts—

(*a*) to try all suits of a civil nature arising in the Special Economic Zone; and

(*b*) to try notified offences committed in the Special Economic Zone.

(*2*) No court, other than the court designated under sub-section (*1*), shall try any suit or conduct the trial of any notified offence referred to in that sub-section:

Provided that the courts, in which any suit of a civil nature in a Special Economic Zone had been filed before the commencement of this Act, shall continue to try such suit after such commencement:

Provided further that the courts, in which any trial of any notified offence is being conducted before the commencement of this Act, shall continue to conduct the trial of such offence after the commencement of this Act:

Provided also that the courts competent to try any notified offence, before the commencement of this Act, shall conduct the trial in respect of such offence after the commencement of this Act until the courts have been designated under sub-section (*1*) and all such cases relating to such trials shall thereafter be transferred to such courts so designated which shall conduct the trial from the stage at which such cases were so transferred.

Appeal to High Court.

24. Any person aggrieved, by any decision or order of the court designated under sub-section (*1*) of section 23, may file an appeal to the High Court within sixty days from the date of communication of the decision or order of the courts so designated to him on any question of fact or law arising out of such orders:

Provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing an appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

Explanation.— In section 23 and in this section "High Court" means the High Court of the State in which the Special Economic Zone is situated.

Offences by companies.

25. (*1*) Where an offence has been committed by a company, every person, who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided for the offence, if he has proved that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(*b*) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

CHAPTER VI

SPECIAL FISCAL PROVISIONS FOR SPECIAL ECONOMIC ZONES

Exemptions, drawbacks and concessions to every Developer and entrepreneur.

26. (*1*) Subject to the provisions of sub-section (*2*), every Developer and the entrepreneur shall be entitled to the following exemptions, drawbacks and concessions, namely:—

52 of 1962. 51 of 1975.

(*a*) exemption from any duty of customs, under the Customs Act, 1962 or the Customs Tariff Act, 1975 or any other law for the time being in force, on goods imported into, or services provided in, a Special Economic Zone or a Unit, to carry on the authorised operations by the Developer or entrepreneur;

52 of 1962. 51 of 1975.

(*b*) exemption from any duty of customs, under the Customs Act, 1962 or the Customs Tariff Act, 1975 or any other law for the time being in force, on goods exported from, or services provided, from a Special Economic Zone or from a Unit, to any place outside India;

1 of 1944. 5 of 1986.

(*c*) exemption from any duty of excise, under the Central Excise Act, 1944 or the Central Excise Tariff Act,1985 or any other law for the time being in force, on goods brought from Domestic Tariff Area to a Special Economic Zone or Unit, to carry on the authorised operations by the Developer or entrepreneur;

(*d*) drawback or such other benefits as may be admissible from time to time on goods brought or services provided from the Domestic Tariff Area into a Special Economic Zone or Unit or services provided in a Special Economic Zone or Unit by the service providers located outside India to carry on the authorised operations by the Developer or entrepreneur;

32 of 1994.

(*e*) exemption from service tax under Chapter V of the Finance Act, 1994 on taxable services provided to a Developer or Unit to carry on the authorised operations in a Special Economic Zone;

23 of 2004.

(*f*) exemption from the securities transaction tax leviable under section 98 of the Finance (No. 2) Act, 2004 in case the taxable securities transactions are entered into by a non-resident through the International Financial Services Centre;

74 of 1956.

(*g*) exemption from the levy of taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers under the Central Sales Tax Act, 1956 if such goods are meant to carry on the authorised operations by the Developer or entrepreneur.

(*2*) The Central Government may prescribe, the manner in which, and, the terms and conditions subject to which, the exemptions, concessions, drawback or other benefits shall be granted to the Developer or entrepreneur under sub-section (*1*).

Provisions of Income-tax Act, 1961 to apply with certain modification in relation to Developers and entrepreneurs.

43 of 1961.

27. The provisions of the Income-tax Act, 1961, as in force for the time being, shall apply to, or in relation to, the Developer or entrepreneur for carrying on the authorised operations in a Special Economic Zone or Unit subject to the modifications specified in the Second Schedule.

Duration of goods or services in Special Economic Zones.

28. The Central Government may prescribe the period during which any goods brought into, or services provided in, any Unit or Special Economic Zone without payment of taxes, duties or cess shall remain or continue to be provided in such Unit or Special Economic Zone.

Transfer of ownership and removal of goods.

29. The transfer of ownership in any goods brought into, or produced or manufactured in, any Unit or Special Economic Zone or removal thereof from such Unit or Zone shall be allowed, subject to such terms and conditions as the Central Government may prescribe.

Domestic clearance by Units.

30. Subject to the conditions specified in the rules made by the Central Government in this behalf,—

(*a*) any goods removed from a Special Economic Zone to the Domestic Tariff Area shall be chargeable to duties of customs including anti-dumping, countervailing and safeguard duties under the Customs Tariff Act, 1975, where applicable, as leviable on such goods when imported; and 51 of 1975.

(*b*) the rate of duty and tariff valuation, if any, applicable to goods removed from a Special Economic Zone shall be at the rate and tariff valuation in force as on the date of such removal, and where such date is not ascertainable, on the date of payment of duty.

CHAPTER VII

SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

Constitution of Authority.

31. (*1*) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute, for every Special Economic Zone established by it before the commencement of this Act or which may be established after such commencement by the Central Government, an Authority to be called the ..... (name of the Special Economic Zone) Authority to exercise the powers conferred on, and discharge the functions assigned to, it under this Act:

Provided that in respect of existing Special Economic Zones established by the Central Government, such Authority shall be constituted by the Central Government within six months from the date of commencement of this Act:

Provided further that until such Authority is constituted, the person or the authority (including the Development Commissioner) exercising control over such existing Special Economic Zones shall continue to exercise such control over the Special Economic Zone till the Authority is constituted.

(*2*) Every Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with a power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue and be sued.

(*3*) The head office of every Authority shall be at such place as the Central Government may specify in the notification referred to in sub-section (*1*).

(*4*) Any Authority may, with the previous approval of the Central Government, establish branch offices at other places in India.

(*5*) Every Authority shall consist of —

(*a*) the Development Commissioner of the Special Economic Zone over which the Authority exercises its jurisdiction—Chairperson, *ex officio*;

(*b*) two officers of the Central Government to be nominated by that Government having knowledge of, or experience in, dealing with matters relating to Special Economic Zones—Members, *ex officio*;

(*c*) an officer of the Government of India in the Ministry or Department dealing with commerce on matters relating to Special Economic Zone—Member, *ex officio*;

(*d*) not more than two persons, being entrepreneurs or their nominee, to be nominated by the Central Government—Members, *ex officio*;

(*6*) The term of office of the Members of an Authority (other than *ex officio* Members) and the manner of filling of vacancies shall be such as may be prescribed.

(*7*) An Authority may associate with itself in such manner, subject to such conditions and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice it requires in discharging its functions effectively and that person shall be entitled to receive such allowances or fees as may be fixed by the Authority.

(8) One-third of the total Members of the Authority shall form a quorum, and all the acts of the Authority shall be decided by a majority of the Members present.

(9) No act or proceeding of an Authority shall be invalidated merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Authority; or

(c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

(10) Every Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including quorum at such meetings) as may be prescribed.

Officers of Authority and other staff

32. (1) Every Development Commissioner of the Special Economic Zone, for which he is appointed as such, shall be the chief executive of the Authority concerned and exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) Every Authority may, in addition to the officers and employees transferred to it under section 33, appoint such other officers and employees, as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(3) The method of appointment, the conditions of service and the scales of pay and allowances of such other officers and employees appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed.

Special provision for transfer of officers or other employees to Authority

33. (1) It shall be lawful for the Central Government to transfer to each Authority, by order, and with effect from such date or dates, as may be specified in the order, any officer or other employee holding office as such (except officers or other employees on deputation) in the existing Special Economic Zone concerned:

Provided that the scale of pay of the post to which such officer or other employee is transferred shall not be lower than the scale of pay of the post which he was holding immediately before such transfer and the other terms and conditions of service (including pension, leave, provident fund and medical benefits) of the post to which he is transferred shall not be less favourable than the terms and conditions of service in relation to the post held by him immediately before such transfer:

Provided further that if, immediately before the date of his transfer, any such officer or other employee is officiating in a higher post under the Central Government either in a leave vacancy or in any vacancy of a specified duration, his pay and other allowances, if any, on transfer, shall be protected for the unexpired period of such vacancy and thereafter he shall be entitled to the scale of pay applicable to the post under the Central Government to which he would have reverted but for his transfer to the Authority.

(2) If any question arises as to whether the prescribed terms and conditions of service in respect of any matter, including remuneration, pension, leave, provident fund and medical benefits, are less favourable than those attached to the post held by an officer or other employee immediately before his transfer to the Authority, the decision of the Central Government in the matter shall be final.

Functions of Authority.

34. (1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of each Authority to undertake such measures as it thinks fit for the development, operation and management of the Special Economic Zone for which it is constituted.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures referred to therein may provide for —

(a) the development of infrastructure in the Special Economic Zone;

(b) promoting exports from the Special Economic Zone;

(c) reviewing the functioning and performance of the Special Economic Zone;

(*d*) levy user or service charges or fees or rent for the use of properties belonging to the Authority;

(*e*) performing such other functions as may be prescribed.

Grants and loans by Central Government.

35. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to every Authority by way of grants and loans or such sums of money as that Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

Constitution of Fund and its application.

36. (*1*) There shall be established by every Authority a Fund to be called the..... (the name of the Special Economic Zone concerned) Authority Fund and there shall be credited thereto—

(*a*) all sums of money, which the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, provide to the Authority;

(*b*) all grants or loans that may be made to the Authority under this Act;

(*c*) all sums received on account of user or service charges or fees or rent for the use of properties belonging to the Authority;

(*d*) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government.

(*2*) The Fund shall be applied for meeting—

(*a*) the salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority;

(*b*) the expenses of the Authority in the discharge of its functions under section 34;

(*c*) the repayment of any loan;

(*d*) the expenses on objects and for purposes authorised by this Act;

(*e*) any other administrative expenses of the Authority.

Accounts and audit.

37. (*1*) Every Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(*2*) The accounts of every Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and Auditor-General of India.

(*3*) The Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.

(*4*) The accounts of every Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and the Central Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

Directions by Central Government.

38. Every Authority shall be bound to carry out such directions as may be issued to it from time to time by the Central Government for the efficient administration of this Act.

Returns and reports.

39. (*1*) Every Authority shall furnish to the Central Government at such time and in such form and manner as may be prescribed or as the Central Government may direct, such

returns and statements and such particulars in regard to the promotion and development of exports and the operation and maintenance of the Special Economic Zone and Units as the Central Government may, from time to time, require.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every Authority shall, as soon as possible, after the end of each financial year, submit to the Central Government a report in such form and before such date, as may be prescribed, giving a true and full account of its activities, policy and programmes during the previous financial year.

(3) A copy of every report received under sub-section (2) shall be laid, as soon as may be, after it is received, before each House of Parliament.

Power to supersede Authority.

40. (1) If at any time the Central Government is of the opinion that an Authority is unable to perform, or has persistently made default in the performance of the duty imposed on it by or under this Act or has exceeded or abused its powers, or has wilfully or without sufficient cause, failed to comply with any direction issued by the Central Government under section 38, the Central Government may, by notification, supersede that Authority for such period not exceeding six months, as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Central Government shall give reasonable time to that Authority to make representation against the proposed supersession and shall consider the representations, if any, of the Authority.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Authority,—

(a) the Chairperson and other Members of the Authority shall, notwithstanding that their term of office has not expired as from the date of supersession, vacate their offices as such;

(b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Central Government may direct;

(c) all property vested in the Authority shall, during the period of supersession, vest in the Central Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), the Central Government may—

(a) extend the period of supersession for such further period not exceeding six months; or

(b) reconstitute the Authority in the manner provided in section 31.

Members, officers and other employees of Authority to be public servants.

41. All Members, officers and other employees of every Authority, shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. 45 of 1860.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

Reference of dispute.

42. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if—

(a) any dispute of civil nature arises among two or more entrepreneurs or two or more Developers or between an entrepreneur and a Developer in the Special Economic Zone; and

(*b*) the court or the courts to try suits in respect of such dispute had not been designated under sub-section (*1*) of section 23,

such dispute shall be referred to arbitration:

Provided that no dispute shall be referred to the arbitration on or after the date of the designation of the court or courts under sub-section (*1*) of section 23.

(*2*) Where a dispute has been referred to arbitration under sub-section (*1*), the same shall be settled or decided by the arbitrator to be appointed by the Central Government.

(*3*) Save as otherwise provided under this Act, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to all arbitration under this Act as if the proceedings for arbitration were referred in settlement or decision under the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. 26 of 1996.

Limitation

43. (*1*) The period of limitation in the case of any dispute which is required to be referred to arbitration shall be regulated by the provisions of the Limitation Act, 1963, as if the dispute was a suit and the arbitrator is civil court. 36 of 1963.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), the arbitrator may admit a dispute after the expiry of the period of limitation, if the applicant satisfies the arbitrator that he had sufficient cause for not referring the dispute within such period.

Applicability of provisions of this Act to existing Special Economic Zones

44. All the provisions of this Act (except sections 3 and 4) shall, as far as may be, apply to every existing Special Economic Zone.

Person to whom a communication may be sent under this Act

45. A communication by any competent authority or person under this Act may be sent to the person who has the ultimate control over the affairs of the Special Economic Zone or Unit or where the said affairs are entrusted to a manager, director, chairperson, or managing director, or to any other officer, by whatever name called, such communication may be sent to such manager, director, chairperson, or managing director or any other officer.

Identity card

46. Every person, whether employed or residing or required to be present in a Special Economic Zone, shall be provided an identity card by every Development Commissioner of such Special Economic Zone in such form and containing such particulars as may be prescribed.

Authorities responsible for administration

47. Any authority which has been conferred upon any power, or, is, required to discharge any function under any Central or State Act, may, subject to the provisions of this Act, exercise such power or discharge such functions in any Special Economic Zone under that Act.

Protection of action taken in good faith

48. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or any Chairperson, Member, officer or other employee of the Board or the Approval Committee or the Authority or Development Commissioner for anything done or intended to be done in good faith under this Act.

Power to modify provisions of this Act or other enactments in relation to Special Economic Zones.

49. (*1*) The Central Government may, by notification, direct that any of the provision of this Act (other than sections 54 to 56) or any other Central Act or any rules or regulations made thereunder or any notification or order issued or direction given thereunder (other than the provisions relating to making of the rules or regulations) specified in the notification—

(*a*) shall not apply to a Special Economic Zone or a class of Special Economic Zones or all Special Economic Zones; or

(*b*) shall apply to a Special Economic Zone or a class of Special Economic Zones or all Special Economic Zones only with such exceptions, modification and adaptation, as may be specified in the notification:

Provided that nothing contained in this section shall apply to any modifications of any Central Act or any rule or regulation made thereunder or any notification or order issued or direction given or scheme made thereunder so far as such modification, rule, regulation, notification, order or direction or scheme relates to the matters relating to trade unions, industrial and labour disputes, welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits applicable in any Special Economic Zones.

(*2*) A copy of every notification proposed to be issued under sub-section (*1*), shall be laid in draft before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in disapproving the issue of the notification or both Houses agree in making any modification in the notification, the notification shall not be issued or, as the case may be, shall be issued only in such modified form as may be agreed upon by both the Houses.

Power of State Government to grant exemption.

50. The State Government may, for the purposes of giving effect to the provisions of this Act, notify policies for Developers and Units and take suitable steps for enactment of any law—

(*a*) granting exemption from the State taxes, levies and duties to the Developer or the entrepreneur;

(*b*) delegating the powers conferred upon any person or authority under any State Act to the Development Commissioner in relation to the Developer or the entrepreneur.

Act to have overriding effect

51. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Certain provisions not to apply

52. (*1*) The provisions contained in the Chapter XA of the Customs Act, 1962 and the Special Economic Zones Rules, 2003 and the Special Economic Zones (Customs Procedure) Regulations, 2003 made thereunder shall not, with effect from such date as the Central Government by notification appoint, apply to the Special Economic Zones.

52 of 1962

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), all offences committed, before the commencement of this Act, under any provisions of the Customs Act, 1962 and the Special Economic Zones Rules, 2003 and the Special Economic Zones (Customs Procedure) Regulations, 2003 made thereunder, shall continue to be governed by the said Act or rules, as the case may be.

52 of 1962

(*3*) Anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any rule, notification, inspection, order or notice made or issued or any permission or authorisation or exemption granted or any document or instrument executed under the said provisions of the Act, rules and regulations referred to in sub-section (*1*) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken or made or issued or granted under the corresponding provisions of the Act or rules or regulations referred to in that sub-section.

Special Economic Zones to be ports, airports, inland container depots, land stations, etc., in certain cases.

53. A Special Economic Zone shall, on and from the appointed day, be deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes of undertaking the authorised operations.

(*2*) A Special Economic Zone shall, with effect from such date as the Central Government may notify, be deemed to be a port, airport, inland container depot, land station and land customs stations, as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962:

52 of 1962

Provided that for the purposes of this section, the Central Government may notify different dates for different Special Economic Zones.

(*zh*) the form in which the accounts and other relevant records of every Authority shall be maintained and annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (*1*) of section 37;

(*zi*) the form and the manner in which and the time at which every Authority shall furnish returns and statements and other particulars to the Central Government under sub-section (*1*) of section 39;

(*zj*) the form in which and the date before which every Authority shall furnish to the Central Government the report of its activities, policy and programmes under sub-section (*2*) of section 39;

(*zk*) the form in which and the particulars to be contained in the identity cards under section 46;

(*zl*) any other matter which, is to be, or may be, prescribed.

(*3*) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

56. (*1*) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiration of two years from the date of commencement of this Act.

(*2*) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Amendment of certain enactments.

57. With effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint, the enactments specified in the Third Schedule shall be amended in the manner specified therein:

Provided that different dates may be appointed on which the amendments specified in the Third Schedule shall apply to a particular Special Economic Zone or a class of Special Economic Zones or all Special Economic Zones.

Savings.

58. All rules made or purporting to have been made or all notifications issued or purporting to have been issued under any Central Act relating to the Special Economic Zones shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act or rules made or notification issued thereunder and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made or issued under this Act as if this Act had been in force on the date on which such rules were made or notifications were issued and shall continue to be in force unless and until they are superseded by any rules made or notifications issued under this Act.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* sections 7 and 54)

ENACTMENTS

1. The Agricultural Produce Cess Act, 1940 (27 of 1940).
2. The Coffee Act, 1942 (7 of 1942).
3. The Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946).
4. The Rubber Act, 1947 (24 of 1947).
5. The Tea Act, 1953 (29 of 1953).
6. The Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953).
7. The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955).
8. The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).
9. The Sugar (Regulation of Production) Act, 1961 (55 of 1961).
10. The Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963).
11. The Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966).
12. The Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972).
13. The Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).
14. The Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974).
15. The Tobacco Cess Act, 1975 (26 of 1975).
16. The Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978).
17. The Sugar Cess Act, 1982 (3 of 1982).
18. The Jute Manufactures Cess Act, 1983 (28 of 1983).
19. The Agricultural and Processed Food Products Export Cess Act, 1985 (3 of 1986).
20. The Spices Cess Act, 1986 (11 of 1986).
21. The Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986).

THE SECOND SCHEDULE

(*See* section 27)

MODIFICATIONS TO THE INCOME-TAX ACT, 1961

(43 OF 1961)

(*a*) in section 10,—

(*A*) in clause (*15*), after sub-clause (*vii*), the following clause shall be inserted at the end, namely:—

"(*viii*) any income by way of interest received by a non-resident or a person who is not ordinarily resident, in India on a deposit made on or after the 1st day of April, 2005, in an Offshore Banking Unit referred to in clause (*u*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005;";

(*B*) in clause (*23G*), after the words, brackets, figures and letters "sub-section (*4*) of section 80-IA", the words, brackets, figures and letters "or sub-section (*3*) of section 80-IAB" shall be inserted;

(*C*) in clause (*34*), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

"*Explanation*.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the dividend referred to in section 115-O shall not be included in the total income of the assessee, being a Developer or entrepreneur.";

(*b*) in section 10A, after sub-section (*7A*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*7B*) The provisions of this section shall not apply to any undertaking, being a Unit referred to in clause (*zc*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005, which has begun or begins to manufacture or produce articles or things or computer software during the previous year relevant to the assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2006 in any Special Economic Zone.";

(*c*) after section 10A, the following section shall be inserted, namely:—

Special provisions in respect of newly established Units in Special Economic Zones.

'10AA. (*1*) Subject to the provisions of this section, in computing the total income of an assessee, being an entrepreneur as referred to in clause (*j*) of section (*2*) of the Special Economic Zones Act, 2005, from his Unit, who begins to manufacture or produce articles or things or provide any services during the previous year relevant to any assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2006, a deduction of—

(*i*) hundred per cent. of profits and gains derived from the export, of such articles or things or from services for a period of five consecutive assessment years beginning with the assessment year relevant to the previous year in which the Unit begins to manufacture or produce such articles or things or provide services, as the case may be, and fifty per cent. of such profits and gains for further five assessment years and thereafter;

(*ii*) for the next five consecutive assessment years, so much of the amount not exceeding fifty per cent. of the profit as is debited to the profit and loss account of the previous year in respect of which the deduction is to be allowed and credited to a reserve account (to be called the "Special Economic Zone Re-investment Reserve Account") to be created and utilised for the purposes of the business of the assessee in the manner laid down in sub-section (*2*).

(*2*) The deduction under clause (*ii*) of sub-section (*1*) shall be allowed only if the following conditions are fulfilled, namely:—

(*a*) the amount credited to the Special Economic Zone Re-investment Reserve Account is to be utilised—

(*i*) for the purposes of acquiring machinery or plant which is first put to use before the expiry of a period of three years following the previous year in which the reserve was created; and

(*ii*) until the acquisition of the machinery or plant as aforesaid, for the purposes of the business of the undertaking other than for distribution by way of dividends or profits or for remittance outside India as profits or for the creation of any asset outside India;

(*b*) the particulars, as may be specified by the Central Board of Direct Taxes in this behalf, under clause (*b*) of sub-section (*1B*) of section 10A have been furnished by the assessee in respect of machinery or plant along with the return of income for the assessment year relevant to the previous year in which such plant or machinery was first put to use.

(*3*) Where any amount credited to the Special Economic Zone Re-investment Reserve Account under clause (*ii*) of sub-section (*1*),—

(*a*) has been utilised for any purpose other than those referred to in sub-section (*2*), the amount so utilised; or

(*b*) has not been utilised before the expiry of the period specified in sub-clause (*i*) of clause (*a*) of sub-section (*2*), the amount not so utilised,

shall be deemed to be the profits,—

(*i*) in a case referred to in clause (*a*), in the year in which the amount was so utilised; or

(*ii*) in a case referred to in clause (*b*), in the year immediately following the period of three years specified in sub-clause (*i*) of clause (*a*) of sub-section (*2*),

and shall be charged to tax accordingly:

Provided that where in computing the total income of the Unit for any assessment year, its profits and gains had not been included by application of the provisions of sub-section (*7B*) of section 10A, the undertaking, being the Unit shall be entitled to deduction referred to in this sub-section only for the unexpired period of ten consecutive assessment years and thereafter it shall be eligible for deduction from income as provided in clause (*ii*) of sub-section (*1*):

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that an undertaking, being the Unit, which had already availed, before the commencement of the Special Economic Zones Act, 2005, the deductions referred to in section 10A for ten consecutive assessment years, such Unit shall not be eligible for deduction from income under this section:

Provided further that where a Unit initially located in any free trade zone or export processing zone is subsequently located in a Special Economic Zone by reason of conversion of such free trade zone or export processing zone into a Special Economic Zone, the period of ten consecutive assessment years referred to above shall be reckoned from the assessment year relevant to the previous year in which the Unit began to manufacture, or produce or process such articles or things or services in such free trade zone or export processing zone:

Provided also that where a Unit initially located in any free trade zone or export processing zone is subsequently located in a Special Economic Zone by reason of conversion of such free trade zone or export processing zone into a Special Economic Zone and has completed the period of ten consecutive assessment years referred to above, it shall not be eligible for deduction from income as provided in clause (*ii*) of sub-section (*1*) with effect from the 1st day of April, 2006.

(*4*) This section applies to any undertaking being the Unit, which has begun or begins to manufacture or produce articles or things or services during the previous year relevant to the assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2006, in any Special Economic Zone;

(*5*) Where any undertaking being the Unit which is entitled to the deduction under this section is transferred, before the expiry of the period specified in this section, to another undertaking, being the Unit in a scheme of amalgamation or demerger,—

(*a*) no deduction shall be admissible under this section to the amalgamating or the demerged Unit, being the company for the previous year in which the amalgamation or the demerger takes place; and

(*b*) the provisions of this section shall, as they would have applied to the amalgamating or the demerged Unit being the company as if the amalgamation or demerger had not taken place.

(*6*) Loss referred to in sub-section (*1*) of section 72 or sub-section (*1*) or sub-section (*3*) of section 74, in so far as such loss relates to the business of the undertaking, being the Unit shall be allowed to be carried forward or set off.

(*7*) For the purposes of sub-section (*1*), the profits derived from the export of articles or things or services (including computer software) shall be the amount which bears to the profits of the business of the undertaking, being the Unit, the same proportion as the export turnover in respect of such articles or things or services bears to the total turnover of the business carried on by the assessee.

(*8*) The provisions of sub-sections (*5*) and (*6*) of section 10A shall apply to the articles or things or services referred to in sub-section (*1*) as if—

(*a*) for the figures, letters and word "1st April, 2001", the figures, letters and word "1st April, 2006" had been substituted;

(*b*) for the word "undertaking", the words "undertaking, being the Unit" had been substituted.

(*9*) The provisions of sub-section (*8*) and sub-section (*10*) of section 80-IA shall, so far as may be, apply in relation to the undertaking referred to in this section as they apply for the purposes of the undertaking referred to in section 80-IA.

Explanation 1.—For the purposes of this section,—

(*i*) "export turnover" means the consideration in respect of export by the undertaking, being the Unit of articles or things or services received in, or brought into, India by the assessee but does not include freight, telecommunication charges or insurance attributable to the delivery of the articles or things outside India or expenses, if any, incurred in foreign exchange in rendering of services (including computer software) outside India;

(*ii*) "export in relation to the Special Economic Zones" means taking goods or providing services out of India from a Special Economic Zone by land, sea, air, or by any other mode, whether physical or otherwise;

(*iii*) "manufacture" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*r*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005;

(*iv*) "relevant assessment year" means any assessment year falling within a period of fifteen consecutive assessment years referred to in this section;

(*v*) "Special Economic Zone" and "Unit" shall have the same meanings as assigned to them under clause (*za*) and (*zc*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.

Explanation 2.– For the removal of doubts, it is hereby declared that the profits and gains derived from on site development of computer software (including services for development of software) outside India shall be deemed to be the profits and gains derived from the export of computer software outside India;

(*d*) after section 54G, the following section shall be inserted, namely:—

Exemption of capital gains on transfer of assets in cases of shifting of industrial undertaking from urban area to any Special Economic Zone.

"54GA. (*1*) Notwithstanding anything contained in section 54G, where the capital gain arises from the transfer of a capital asset, being machinery or plant or building or land or any rights in building or land used for the purposes of the business of an industrial undertaking situate in an urban area, effected in the course of, or in consequence of the shifting of such industrial undertaking to any Special Economic Zone, whether developed in any urban area or any other area and the assessee has within a period of one year before or three years after the date on which the transfer took place,—

(*a*) purchased machinery or plant for the purposes of business of the industrial undertaking in the Special Economic Zone to which the said undertaking is shifted;

(*b*) acquired building or land or constructed building for the purposes of his business in the Special Economic Zone;

(*c*) shifted the original asset and transferred the establishment of such undertaking to the Special Economic Zone; and

(*d*) incurred expenses on such other purposes as may be specified in a scheme framed by the Central Government for the purposes of this section,

then, instead of the capital gain being charged to income-tax as income of the previous year in which the transfer took place, it shall, subject to the provisions of sub-section (*2*), be dealt with in accordance with the following provisions of this section, that is to say,—

(*i*) if the amount of the capital gain is greater than the cost and expenses incurred in relation to all or any of the purposes mentioned in clauses (*a*) to (*d*) (such cost and expenses being hereafter in this section referred to as the new asset), the difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under section 45 as the income of the previous year; and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its being purchased, acquired, constructed or transferred, as the case may be, the cost shall be Nil; or

(*ii*) if the amount of the capital gain is equal to, or less than, the cost of the new asset, the capital gain shall not be charged under section 45, and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its being purchased, acquired, constructed or transferred, as the case may be, the cost shall be reduced by the amount of the capital gain.

Explanation.—In this sub-section,—

(*a*) "Special Economic Zone" shall have the meaning assigned to it in clause (*za*) of the Special Economic Zones Act, 2005;

(*b*) "urban area" means any such area within the limits of a municipal corporation or municipality as the Central Government may, having regard to the population, concentration of industries, need for proper planning of the area and other relevant factors, by general or special order, declare to be an urban area for the purposes of this sub-section.

(*2*) The amount of capital gain which is not appropriated by the assessee towards the cost and expenses incurred in relation to all or any of the purposes mentioned in clauses (*a*) to (*d*) of sub-section (*1*) within one year before the date on which the transfer of the original asset took place, or which is not utilised by him for all or any of the purposes aforesaid before the date of furnishing the return of income under section 139, shall be deposited by him before furnishing such return [such deposit being made in any case not later than the due date applicable in the case of the assessee for furnishing the return of income under sub-section (*1*) of section 139] in an account in any such bank or institution as may be specified in, and utilised in accordance with, any scheme which the Central Government may, by notification, frame in this behalf and such return shall be accompanied by proof of such deposit; and, for the purposes of sub-section (*1*), the amount, if any, already utilised by the assessee for all or any of the aforesaid purposes together with the amount so deposited shall be deemed to be the cost of the new asset:

Provided that if the amount deposited under this sub-section is not utilised wholly or partly for all or any of the purposes mentioned in clauses (*a*) to (*d*) of sub-section (*1*) within the period specified in that sub-section, then,—

(*i*) the amount not so utilised shall be charged under section 45 as the income of the previous year in which the period of three years from the date of the transfer of the original asset expires; and

(*ii*) the assessee shall be entitled to withdraw such amount in accordance with the scheme aforesaid.";

(*e*) in section 80-IA, after sub-section (*12*), the following section shall be inserted, namely:—

"(*13*) Nothing contained in this section shall apply to any Special Economic Zones notified on or after the 1st day of April, 2005 in accordance with the scheme referred to in sub-clause (*iii*) of clause (*c*) of sub-section (*4*).";

(*f*) after section 80-IA, the following section shall be inserted, namely:—

Deductions in respect of profits and gains by an undertaking or enterprise engaged in development of Special Economic Zone.

"80-I AB. (*1*) Where the gross total income of an assessee, being a Developer, includes any profits and gains derived by an undertaking or an enterprise from any business of developing a Special Economic Zone, notified on or after the 1st day of April, 2005 under the Special Economic Zones Act, 2005, there shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed, in computing the total income of the assessee, a deduction of an amount equal to one hundred per cent. of the profits and gains derived from such business for ten consecutive assessment years.

(*2*) The deduction specified in sub-section (*1*) may, at the option of the assessee, be claimed by him for any ten consecutive assessment years out of fifteen years beginning from the year in which a Special Economic Zone has been notified by the Central Government:

Provided that where in computing the total income of any undertaking, being a Developer for any assessment year, its profits and gains had not been included by application of the provisions of sub-section (*13*) of section 80-1A, the undertaking being the Developer shall be entitled to deduction referred to in this section only for the unexpired period of ten consecutive assessment years and thereafter it shall be eligible for deduction from income as provided in sub-section (*1*) or sub-section (*2*), as the case may be:

Provided further that in a case where an undertaking, being a Developer who develops a Special Economic Zone on or after the 1st day of April, 2005 and transfers the operation and maintenance of such Special Economic Zone to another Developer (hereafter in this section referred to as the transferee Developer), the deduction under sub-section (*1*) shall be allowed to such transferee Developer for the remaining period in the ten consecutive assessment years as if the operation and maintenance were not so transferred to the transferee Developer.

(*3*) The provisions of sub-section (*5*) and sub-sections (*7*) to (*12*) of section 80-IA shall apply to the Special Economic Zones for the purpose of allowing deductions under sub-section (*1*).

Explanation.—For the purposes of this section, "Developer" and "Special Economic Zone" shall have the same meanings respectively as assigned to them in clauses (*g*) and (*za*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.";

(*g*) for section 80LA, the following section shall be substituted, namely:–

'80LA. (*1*) Where the gross total income of an assessee,— Deductions in respect of certain incomes of Offshore Banking Units and International Financial Services Centre

(*i*) being a scheduled bank, or, any bank incorporated by or under the laws of a country outside India; and having an Offshore Banking Unit in a Special Economic Zone; or

(*ii*) being a Unit of an International Financial Services Centre,

includes any income referred to in sub-section (*2*), there shall be allowed, in accordance with and subject to the provisions of this section, a deduction from such income, of an amount equal to—

(*a*) one hundred per cent. of such income for five consecutive assessment years beginning with the assessment year relevant to the previous year in which the permission, under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 or permission or registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or any other relevant law was obtained, and thereafter;

10 of 1949.
15 of 1992

(*b*) fifty per cent. of such income for five consecutive assessment years.

(*2*) The income referred to in sub-section (*1*) shall be the income—

(*a*) from an Offshore Banking Unit in a Special Economic Zone; or

(*b*) from the business referred to in sub-section (*1*) of section 6 of the Banking Regulation Act, 1949 with an undertaking located in a Special Economic Zone or any other undertaking which develops, develops and operates or develops, operates and maintains a Special Economic Zone; or

10 of 1949.

(*c*) from any Unit of the International Financial Services Centre from its business for which it has been approved for setting up in such a Centre in a Special Economic Zone.

(*3*) No deduction under this section shall be allowed unless the assessee furnishes along with the return of income,—

(*i*) the report, in the form specified by the Central Board of Direct Taxes under clause (*i*) of sub-section (*2*) of section 80LA, as it stood immediately before its substitution by this section, of an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (*2*) of section 288, certifying that the deduction has been correctly claimed in accordance with the provisions of this section; and

(*ii*) a copy of the permission obtained under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

10 of 1949.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*q*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005;

(*b*) "scheduled bank" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*e*) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934; 2 of 1934.

(*c*) "Special Economic Zone" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*za*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005;

(*d*) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*zc*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.';

(*h*) in section 115JB, after sub-section (*5*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*6*) The provisions of this section shall not apply to the income accrued or arising on or after the 1st day of April, 2005 from any business carried on, or services rendered, by an entrepreneur or a Developer, in a Unit or Special Economic Zone, as the case may be.".

(*i*) in section 115-0, after sub-section (*5*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*6*) Notwithstanding anything contained in this section, no tax on distributed profits shall be chargeable in respect of the total income of an undertaking or enterprise engaged in developing or developing and operating or developing, operating and maintaining a Special Economic Zone for any assessment year on any amount declared, distributed or paid by such Developer or enterprise, by way of dividends (whether interim or otherwise) on or after the 1st day of April, 2005 out of its current income either in the hands of the Developer or enterprise or the person receiving such dividend not falling under clause (*23G*) of section 10.";

(*j*) in section 197A, after sub-section (*1C*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

'(*1D*) Notwithstanding anything contained in this section, no deduction of tax shall be made by the Offshore Banking Unit from the interest paid—

(*a*) on deposit made on or after the 1st day of April, 2005, by a non-resident or a person not ordinarily resident in India; or

(*b*) on borrowing, on or after the 1st day of April, 2005, from a non-resident or a person not ordinarily resident in India.

Explanation.—For the purposes of this sub-section "Offshore Banking Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*u*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.'.

THE THIRD SCHEDULE

(See section 57)

AMENDMENT TO CERTAIN ENACTMENTS

PART I

AMENDMENTS TO THE INSURANCE ACT, 1938

(4 OF 1938)

1. In section 2C, in sub-section (*1*), after the third proviso, insert:—

"Provided also an insurer, being an Indian Insurance Company, insurance co-operative society or a body corporate referred to in clause (*c*) of this sub-section carrying on the business of insurance, may carry on any business of insurance in any Special Economic Zone as defined in clause (*za*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.";

2. After section 2C, insert—

Power of Central Government to apply provisions of this Act to Special Economic Zones.

"2CA. The Central Government may, by notification, direct that any of the provisions of this Act,—

(*a*) shall not apply to insurer, being an Indian Insurance Company, insurance co-operative society or a body corporate referred to in clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 2C, carrying on the business of insurance, in any Special Economic Zone as defined in clause (*za*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005; or

(*b*) shall apply to any insurer, being an Indian Insurance Company, insurance co-operative society or a body corporate referred to in clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 2C, carrying on the business of insurance, in any Special Economic Zone as defined in clause (*za*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 only with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification.".

PART II

AMENDMENTS TO THE BANKING REGULATION ACT, 1949

(10 OF 1949)

1. Section 53 shall be renumbered as sub-section (*1*) thereof and in sub-section (*1*) as so re-numbered, for "banking company or institution or to any class of banking companies", substitute,—

"banking company or institution or to any class of banking companies or any of their branches functioning or located in any Special Economic Zone established under the Special Economic Zones Act, 2005.".

2. After sub-section (*1*) as so numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*2*) A copy of every notification proposed to be issued under sub-section (*1*), shall be laid in draft before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in disapproving the issue of the notification or both Houses agree in making any modification in the notification, the notification shall not be issued or, as the case may be, shall be issued only in such modified form as may be agreed upon by both the Houses.".

PART III

AMENDMENT TO THE INDIAN STAMP ACT, 1899

(2 OF 1899)

In section 3, in the proviso, after clause (*2*), insert,—

'(*3*) any instrument executed, by, or, on behalf of, or, in favour of, the Developer, or Unit or in connection with the carrying out of purposes of the Special Economic Zone.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expressions "Developer", "Special Economic Zone" and "Unit" shall have meanings respectively assigned to them in clause (*g*), (*za*) and (*zc*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.'.

T.K. VISWANATHAN,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.

MGIPMRND—1496COMMERCE—07-07-2005.

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 28)

[23 जून, 2005]

निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की
स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे
संबंधित या उसके आनुषंगिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति-निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति-निर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से किसी विशेष आर्थिक जोन के संबंध में, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको केन्द्रीय सरकार धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विशेष आर्थिक जोन अधिसूचित करती है;

(ख) "अनुमोदन समिति" से धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुमोदन समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत संक्रिया" से वे संक्रियाएं अभिप्रेत हैं जिन्हें धारा 4 की उपधारा (2) और धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकृत किया जाए;

(घ) "प्राधिकरण" से धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) ''बोर्ड'' से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुमोदन बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) ''सह विकासकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति या राज्य सरकार अभिप्रेत है, जिसे या जिसको धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया है;

(छ) ''विकासकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति या राज्य सरकार अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई प्राधिकारी और सह विकासकर्ता भी है;

(ज) ''विकास आयुक्त'' से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन एक या अधिक विशेष आर्थिक जोनों के लिए नियुक्त किया गया विकास आयुक्त अभिप्रेत है;

(झ) ''स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र'' से संपूर्ण भारत (जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि है) अभिप्रेत है, किन्तु उसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों के क्षेत्र नहीं हैं;

(ञ) ''उद्यमकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 15 की उपधारा (9) के अधीन विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ट) ''विद्यमान विशेष आर्थिक जोन'' से ऐसा प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व विद्यमान है;

(ठ) ''विद्यमान यूनिट'' से ऐसी प्रत्येक यूनिट अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किसी विद्यमान विशेष आर्थिक जोन में स्थापित किया गया है;

(ड) ''निर्यात'' से अभिप्रेत है—

(i) किसी विशेष आर्थिक जोन से भूमि, समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा या किसी अन्य ढंग द्वारा, चाहे भौतिक रूप से या अन्यथा, भारत से बाहर माल ले जाना या सेवाएं प्रदान करना; या

(ii) किसी स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र से किसी यूनिट या विकासकर्ता को माल प्रदाय करना या सेवाएं प्रदान करना; या

(iii) एक ही या किसी भिन्न विशेष आर्थिक जोन में एक यूनिट से किसी अन्य यूनिट को या विकासकर्ता को माल का प्रदाय करना या सेवाएं प्रदान करना;

(ढ) ''मुक्त व्यापार और भाण्डागार जोन'' से ऐसा विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है जिसमें मुख्यत: व्यापार और भाण्डागार तथा उससे संबद्ध अन्य क्रियाकलाप किए जाते हैं;

(ण) ''आयात'' से अभिप्रेत है—

(i) किसी यूनिट या विकासकर्ता द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा या किसी अन्य ढंग द्वारा, चाहे भौतिक रूप से या अन्यथा, किसी विशेष आर्थिक जोन में माल लाना या सेवाएं प्राप्त करना; या

(ii) किसी यूनिट या विकासकर्ता द्वारा उसी विशेष आर्थिक जोन या किसी भिन्न विशेष आर्थिक जोन की किसी अन्य यूनिट से या विकासकर्ता से माल या सेवाएं प्राप्त करना;

(त) ''अवसंरचना सुविधा'' से किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास के लिए आवश्यक औद्योगिक, वाणिज्यिक या सामाजिक अवसरचना या अन्य सुविधाएं या ऐसी अन्य सुविधाएं, जो विहित की जाएं अभिप्रेत हैं;

(थ) ''अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र'' से ऐसा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित किया गया है;

(द) ''विनिर्माण'' से हाथ से या मशीन द्वारा, किसी नए उत्पाद को, जिसका सुभिन्न नाम, लक्षण या उपयोग हो, बनाना, उत्पादन करना, गढ़ना, संयोजन करना, प्रसंस्करण करना या अस्तित्व में लाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रशीतन, कर्तन करना, पालिश करना, मिश्रण करना, मरम्मत करना, पुन: बनाना, पुन: इंजीनियरी जैसी प्रक्रियाएं भी होंगी और इसके अंतर्गत कृषि, जल कृषि, पशुपालन, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीड़ा पालन, द्राक्षा कृषि और खनन भी हैं;

(ध) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(न) ''अधिसूचित अपराध'' से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में विनिर्दिष्ट अपराध अभिप्रेत है;

(प) ''अपतट बैंककारी यूनिट'' से विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित बैंक की कोई शाखा
1949 का 10 अभिप्रेत है; जिसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली है;

(फ) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई व्यष्टि, चाहे वह भारत में या भारत के बाहर निवासी हो, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, सहकारी सोसाइटी, कम्पनी चाहे वह भारत में निगमित हो या भारत से बाहर, फर्म साम्पत्तिक समुत्थान या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, सहकारी सोसाइटी संगम, निकाय, प्राधिकारी या कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा भी है;

(ब) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1934 का 2 (भ) ''रिजर्व बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(म) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम की अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(य) ''सेवाओं'' से ऐसी व्यापार योग्य सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो—

(i) मररकेस में 15 अप्रैल, 1994 को संपन्न हुए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले करार के साथ आईबी के रूप में संलग्न सेवाओं में व्यापार संबंधी साधारण करार के अंतर्गत आती हैं;

(ii) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं; और

(iii) विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं;

(यक) ''विशेष आर्थिक जोन'' से धारा 3 की उपधारा (4) के परन्तुक और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन (मुक्त व्यापार और भाण्डागार जोन सहित) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यमान विशेष आर्थिक जोन भी है;

(यख) ''राज्य सरकार'' से उस राज्य की, जिसमें विशेष आर्थिक जोन स्थापित है या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(यग) ''यूनिट'' से किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी उद्यमकर्ता द्वारा स्थापित कोई यूनिट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यमान यूनिट, अपतट बैंककारी यूनिट और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में की कोई यूनिट, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व में या उसके पश्चात् स्थापित की गई हो, अभिप्रेत है;

(यघ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, आय-कर अधिनियम, 1961, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं। 1944 का 1, 1951 का 65, 1961 का 43, 1962 का 52, 1992 का 22

अध्याय 2

विशेष आर्थिक जोन की स्थापना

विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव करने की प्रक्रिया।

3. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा, माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए या मुक्त व्यापार और भाण्डागार जोन के रूप में या तो संयुक्त रूप से या पृथक्-पृथक् रूप से, किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की जा सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन स्थापित करना चाहता है, क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात् विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध राज्य सरकार को प्रस्ताव कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करना चाहता है, क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्, अपने विकल्प पर, विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड को सीधे प्रस्ताव कर सकेगा:

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति से सीधे प्राप्त हुआ है, वहां बोर्ड अनुमोदन प्रदान कर सकेगा और ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात् संबद्ध व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करेगा।

(4) यदि राज्य सरकार कोई विशेष आर्थिक जोन स्थापित करना चाहती है तो वह क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्, विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए प्रस्ताव सीधे बोर्ड को भेज सकेगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार,—

(क) संबद्ध राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्;

(ख) बोर्ड को विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए प्रस्ताव निर्देशित किए बिना; और

(ग) क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्,

स्वप्रेरणा से विशेष आर्थिक जोन स्थापित कर सकेगी और उसे अधिसूचित कर सकेगी।

(5) उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रस्ताव ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जो विहित की जाएं, किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रस्ताव की प्राप्ति पर, अपनी सिफारिशों के साथ उसे बोर्ड को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अग्रेषित करेगी।

(7) उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात् प्रस्ताव को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकेगा या प्रस्ताव को उपांतरित या रद्द कर सकेगा।

(8) केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं विहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) भूमि का वह न्यूनतम क्षेत्र और अन्य निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड, उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त किसी प्रस्ताव को अनुमोदित, उपांतरित या रद्द करेगा; और

(ख) वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, विकासकर्ता प्राधिकृत संक्रियाएं कर सकेगा और अपनी बाध्यताएं पूरी कर सकेगा और हकदारी ले सकेगा:

परन्तु खंड (क) में निर्दिष्ट भूमि का भिन्न-भिन्न निम्नतम क्षेत्र और अन्य निबंधन और शर्तें, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वर्ग या वर्गों के विशेष आर्थिक जोनों के लिए विहित की जा सकेंगी।

(9) यदि बोर्ड,—

(क) उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन प्राप्त किसी प्रस्ताव को बिना किसी उपांतरण के अनुमोदित करता है तो वह उसे केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगा;

(ख) उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन प्राप्त किसी प्रस्ताव को उपांतरणों सहित अनुमोदित करता है तो वह संबद्ध व्यक्ति या राज्य सरकार को ऐसे उपांतरणों के बारे में संसूचित करेगा और यदि ऐसे व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो बोर्ड, अनुमोदन के बारे में केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगा;

(ग) उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन प्राप्त किसी प्रस्ताव को नामंजूर करता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और नामंजूरी की संसूचना केन्द्रीय सरकार को देगा जो संबद्ध राज्य सरकार या व्यक्ति को सूचित करेगी।

(10) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (9) के खण्ड (क) या खंड (ख) के अधीन संसूचना की प्राप्ति पर ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाए, विकासकर्ता को, जो व्यक्ति है या संबद्ध राज्य सरकार अनुमोदन पत्र ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा बाध्यताओं और हकदारी पर, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं, अनुदत्त करेगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, ऐसी दशाओं में जहां किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए किसी एक विकासकर्ता के कब्जे में निकटस्थ भूमि का ऐसा न्यूनतम क्षेत्र, जो विहित किया जाए, नहीं है, उस विशेष आर्थिक जोन में एक से अधिक विकासकर्ताओं को अनुमोदन दे सकेगी और ऐसी दशाओं में प्रत्येक विकासकर्ता को उस भूमि की बाबत, जो उसके कब्जे में है, विकासकर्ता माना जाएगा।

(11) कोई व्यक्ति या राज्य सरकार, जो उपधारा (2) से उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी अभिज्ञात क्षेत्र में कोई अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है, या कोई प्राधिकृत संक्रिया करना चाहती है, उपधारा (10) में निर्दिष्ट विकासकर्ता के साथ करार करने के पश्चात् उसके लिए बोर्ड को एक प्रस्ताव उसके अनुमोदन के लिए भेज सकेगी और उपधारा (5) तथा उपधारा (7) से उपधारा (10) तक के उपबंध, यथाशक्य ऐसे व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किए गए उक्त प्रस्ताव को लागू होंगे।

(12) उपधारा (11) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या राज्य सरकार को, जिसका प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र अनुदत्त कर दिया गया है, विशेष आर्थिक जोन का सहविकासकर्ता माना जाएगा।

(13) इस धारा के उपबंधों और विकासकर्ता को अनुदत्त अनुमोदन पत्र के अधीन रहते हुए, विकासकर्ता अनुमोदित यूनिटों को उसके द्वारा ऐसी यूनिटों के उद्यमकर्ताओं के साथ किए गए करार के अनुसार स्थान या निर्मित क्षेत्र आबंटित कर सकेगा या अवसंरचनात्मक सुविधाएं दे सकेगा।

विशेष आर्थिक जोन की स्थापना और उसके प्रचालन के लिए विकासकर्ता को अनुमोदन और प्राधिकार।

4. (1) विकासकर्ता, धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन अनुमोदन पत्र दिए जाने के पश्चात्, उस धारा की उपधारा (2) से उपधारा (4) में निर्दिष्ट अभिज्ञात क्षेत्र की सही विशिष्टियां केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा और तदुपरि वह सरकार अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि धारा 3 की उपधारा (8) के अधीन अपेक्षाएं और ऐसी अन्य अपेक्षाएं, जो विहित की जाएं, पूरी कर दी गई हैं, राज्य में विनिर्दिष्ट रूप से अभिज्ञात क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित कर सकेगी:

परंतु किसी विद्यमान विशेष आर्थिक जोन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित और स्थापित किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध, यथाशक्य, ऐसे जोन को तदनुसार लागू होंगे:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित करने के पश्चात्, यदि वह उचित समझती है तो तत्पश्चात् किसी अतिरिक्त क्षेत्र को उस विशेष आर्थिक जोन के भागरूप में सम्मिलित किए जाने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) नियत दिन के पश्चात् बोर्ड, विकासकर्ता को किसी विशेष आर्थिक जोन में ऐसी संक्रियाएं करने के लिए, जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत करे, प्राधिकृत कर सकेगी।

विशेष आर्थिक जोन अधिसूचित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

5. केन्द्रीय सरकार, किसी क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में या विशेष आर्थिक जोन में सम्मिलित किए जाने वाले किसी अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करते समय और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात्:—

(क) अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप की उत्पत्ति;

(ख) माल और सेवाओं के निर्यात का संवर्धन;

(ग) स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से वित्तिधान का संवर्धन;

(घ) रोज़गार के अवसरों का सृजन;

(ङ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास; और

(च) भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का अनुरक्षण।

प्रसंस्करण और अप्रसंस्करण क्षेत्र।

6. विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित के रूप में सीमांकित किया जा सकेगा—

(क) माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने के क्रियाकलापों के लिए यूनिटों को स्थापित करने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र; या

(ख) अनन्यत: व्यापार या भाण्डागारण प्रयोजनों के लिए क्षेत्र;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न अन्य क्रियाकलापों के लिए अप्रसंस्करण क्षेत्र।

कर, शुल्क या उपकर से छूट।

7. ऐसे माल या सेवाएं जिनका,—

(i) किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट द्वारा, या

(ii) किसी विकासकर्ता द्वारा,

स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र के बाहर निर्यात या उसके भीतर आयात या उससे उपापन किया गया है, ऐसे निबंधनों, शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी अधिनियमितियों के अधीन करों, शुल्कों या उपकर के संदाय से छूट प्राप्त होंगी।

अध्याय 3

अनुमोदन बोर्ड का गठन

अनुमोदन बोर्ड का गठन।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के प्रारंभ के पंद्रह दिन के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक बोर्ड का गठन करेगी जिसे अनुमोदन बोर्ड कहा जाएगा।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(क) एक ऐसा अधिकारी जो वाणिज्य से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) दो ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्व से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य, पदेन;

(ग) एक ऐसा अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, आर्थिक कार्यों (वित्तीय सेवाओं) से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य पदेन;

(घ) दस से अनधिक उतने अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य, औद्योगिक नीति और संवर्धन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग, गृह, रक्षा, पर्यावरण और वन, विधि, विदेशी भारतीय कार्यों तथा शहरी विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य-पदेन;

(ङ) संबद्ध राज्य सरकार का नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन;

(च) विदेश व्यापार महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन;

(छ) संबद्ध विकास आयुक्त—सदस्य, पदेन;

(ज) भारतीय प्रबंध संस्थान का, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, एक प्राचार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा—सदस्य, पदेन; 1860 का 21

(झ) वाणिज्य से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित भारत सरकार का एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य-सचिव, पदेन:

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (ख) से खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य जो संयुक्त सचिव है, यदि वह बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बोर्ड के अधिवेशन में अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अपने अधीन कार्यरत किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जिस समय वह उस पद पर नहीं रहता है जिसके आधार पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(4) बोर्ड, अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, सदस्यों के रूप में उतने ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जितने वह ठीक समझे, जिन्हें विशेष आर्थिक जोनों से संबद्ध क्रियाकलाप से संबंधित या उनसे सुसंगत विषयों में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो और ऐसे किसी व्यक्ति को बोर्ड की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उनको गणपूर्ति के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा तथा ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करने का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा नियत की जाएं।

(5) बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा जो उसके द्वारा नियत किए जाएं तथा उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(6) बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी गणपूर्ति होगी और बोर्ड के सभी कार्यों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों की आम सहमति द्वारा किया जाएगा।

(7) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

(8) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय और उसके द्वारा जारी की गई सभी अन्य लिखतें सदस्य-सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

बोर्ड के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य।

9. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड का विशेष आर्थिक जोनों का संवर्धन करने और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे—

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना या प्रस्ताव को नामंजूर करना या ऐसे प्रस्तावों का उपांतरण करना;

(ख) विकासकर्ता द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन में की जाने वाली प्राधिकृत संक्रियाओं का अनुमोदन करना;

(ग) विकासकर्ताओं या यूनिटों को (ऐसे विकासकर्ताओं या यूनिटों से भिन्न जो किसी विधि के अधीन या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त) किसी विशेष आर्थिक जोन में उसके विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विदेशी सहयोग या विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान (जिनके अंतर्गत भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विनिधान भी है) के लिए अनुमोदन अनुदत्त करना;

(घ) किसी विशेष आर्थिक जोन में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करना या उसे नामंजूर करना या ऐसे प्रस्तावों का उपांतरण करना;

1951 का 65

(ङ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 3 के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना यदि ऐसे उपक्रम का पूर्णरूपेण या उसके किसी भाग को किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थापित किया जाता है या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन किसी विकासकर्ता को अनुदत्त अनुमोदन पत्र का निलंबन और प्रशासक की नियुक्ति;

(छ) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन की गई अपीलों को निपटाना;

(ज) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन की गई अपीलों को निपटाना;

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(3) बोर्ड, यदि इस अधिनियम या विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए ऐसा अपेक्षित हो, अधिसूचना द्वारा, इस बारे में विनिश्चय कर सकेगा कि क्या कोई विशिष्ट क्रियाकलाप, धारा 2 के खंड (द) में यथापरिभाषित विनिर्माण की कोटि में आता है अथवा नहीं और बोर्ड का ऐसा विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों पर आबद्धकर होगा।

(4) बोर्ड ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जिन्हें वह ठीक समझे, बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी और उचित निर्वहन के लिए एक या अधिक विकास आयुक्तों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में या अपने कृत्यों के अनुपालन में, नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे लिखित में दिए जाएं।

(6) इस बारे में कि कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय दशाओं में अनुमोदन पत्र का निलंबन और विशेष आर्थिक जोन का अंतरण।

10. (1) यदि किसी समय बोर्ड की यह राय है कि विकासकर्ता—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ख) उसने इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में लगातार व्यतिक्रम किया है; या

(ग) उसने अनुमोदन पत्र के निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण किया है; या

(घ) उसकी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अनुमोदन पत्र द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतया और दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है, और

ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें बोर्ड के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है, वहां बोर्ड, आवेदन पर, या विकासकर्ता की सहमति से, या अन्यथा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, विशेष आर्थिक जोन के रूप में स्थापित उसके संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग के लिए विकासकर्ता को अनुदत्त अनुमोदन पत्र को एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और अनुमोदन पत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार विकासकर्ता के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार विशेष आर्थिक जोन का प्रबंध करेगा।

(2) प्रशासक की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विकासकर्ता के विशेष आर्थिक जोन का प्रबंध प्रशासक में निहित हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अनुमोदन पत्र तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड ने विकासकर्ता को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना उन आधारों का कथन करते हुए न दे दी हो जिन पर वह अनुमोदन पत्र को निलंबित करने का प्रस्ताव करता है और प्रस्तावित निलंबन के विरुद्ध उस सूचना की अवधि के भीतर विकासकर्ता द्वारा दर्शित किसी कारण पर विचार न कर लिया हो।

(4) बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन पत्र को निलंबित करने के बजाय, उसे ऐसे और निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रवृत्त बने रहने की अनुज्ञा दे सकेगा तथा इस प्रकार अधिरोपित और निबंधन या शर्तें विकासकर्ता पर आबद्धकर होंगी और विकासकर्ता द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा और वे इस प्रकार बल और प्रभाव [illegible] होंगी मानों वे अनुमोदन पत्र में अंतर्विष्ट हों।

(5) यदि बोर्ड इस धारा के अधीन अनुमोदन पत्र को निलंबित [illegible] है वहां वह निलंबन की सूचना की विकासकर्ता पर तामील करेगा और वह तारीख नियत करेगा जिसको निलंबन प्रभावी होगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन पत्र के निलंबन पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकासकर्ता का विशेष आर्थिक जोन एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या उस तारीख तक, जिसको ऐसे विशेष आर्थिक जोन के लिए उसका अनुमोदन पत्र, यथास्थिति, उपधारा (7) और उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसार अंतरित हो जाता है, उपधारा (2) के अधीन प्रशासक में निहित हो जाएगा।

(7) जहां बोर्ड ने उपधारा (5) के अधीन अनुमोदन पत्र के निलंबन के लिए सूचना दे दी है वहां विकासकर्ता, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, अपना अनुमोदन पत्र ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा ऐसा अनुमोदन अनुदत्त किए जाने के लिए पात्र पाया जाता है।

(8) यदि किसी समय बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासक नियुक्त करने वाले आदेश का प्रयोजन पूरा हो गया है या किसी कारण से यह अवांछनीय है कि नियुक्ति आदेश प्रवृत्त बना रहना चाहिए तो बोर्ड आदेश को रद्द कर सकेगा और तदुपरि प्रशासक उस विशेष आर्थिक जोन के प्रबंध से निर्निहित हो जाएगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, पुनः उस व्यक्ति में, जो विकासकर्ता है, निहित हो जाएगा जिसमें वह प्रशासक की नियुक्ति की तारीख के ठीक पूर्व निहित था।

(9) जहां बोर्ड इस धारा के अधीन किसी विकासकर्ता की बाबत अनुमोदन पत्र को निलंबित करता है, वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) बोर्ड उस विकासकर्ता के अनुमोदन पत्र को अंतरित करने के लिए, जिसका अनुमोदन निलंबित किया गया है, आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का चयन करेगा जिसको या जिनको विशेष आर्थिक जोन में विकासकर्ता का अनुमोदन पत्र अंतरित किया जा सकेगा;

(ख) उपखंड (क) के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन हो जाने पर, बोर्ड, लिखित सूचना द्वारा, विकासकर्ता से, विशेष आर्थिक जोन में अपना अनुमोदन पत्र इस प्रकार चयन किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को अंतरित करने की अपेक्षा कर सकेगा और तदुपरि विकासकर्ता उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है), जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और ऐसे प्रतिफल पर, जो विकासकर्ता और अंतरिती के बीच करार किया जाए, चयन किया गया है, विशेष आर्थिक जोन में अपने हित, अधिकार और दायित्व अंतरित करेगा;

(ग) अनुमोदन पत्र के निलंबन की तारीख से ही या उस तारीख से ही, जो यदि पूर्व में हो, जिसको विकासकर्ता के विशेष आर्थिक जोन में उसका अनुमोदन पत्र अंतरिती को अंतरित किया गया है, विकासकर्ता के सभी अधिकार, कर्तव्य, बाध्यताएं और दायित्व, सिवाय किसी ऐसे दायित्व के, जो उस तारीख से पूर्व प्रोद्भूत हुआ हो, आत्यंतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे;

(घ) बोर्ड, विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन की बाबत ऐसे अंतरिम इंतजाम कर सकेगा जो वह उचित समझे;

(ङ) प्रशासक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा बोर्ड निदेश दे।

(10) बोर्ड, निर्यात का संवर्धन करने या यूनिटों के हित का संरक्षण करने या लोकहित में ऐसे निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी स्कीम बना सकेगा जो वह विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 4

विकास आयुक्त

विकास आयुक्त।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, एक या अधिक विशेष आर्थिक जोन के लिए अपने अधिकारियों में से किसी ऐसे अधिकारी को जो भारत सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन किसी विकासकर्ता (केन्द्रीय सरकार से भिन्न) द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक जोन में विकास आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जिन्हें वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(3) प्रत्येक विकास आयुक्त, अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के और छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और ऐसे अन्य विषयों की बाबत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होंगे।

विकास आयुक्त के कृत्य।

12. (1) प्रत्येक विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन का तेजी से विकास और उससे निर्यात का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सभी कदम उठाएगा।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विकास आयुक्त—

(क) विशेष आर्थिक जोन में यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा;

(ख) विशेष आर्थिक जोन से निर्यात के प्रभावी संवर्धन को सुनिश्चित करेगा और उसके लिए उपयुक्त कदम उठाएगा;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के संबंध में या उनके प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के संबद्ध विभागों या अभिकरणों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करेगा;

(घ) विशेष आर्थिक जोन में विकासकर्ता और यूनिट के कार्यकरण को मानीटर करेगा;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं; और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(3) प्रत्येक विकास आयुक्त विशेष आर्थिक जोन का संपूर्ण भारसाधक होगा और इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का पालन करने के लिए धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर (जिनके अंतर्गत ऐसे विशेष आर्थिक जोन में प्रतिनियुक्त पदधारी भी हैं) प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखेगा।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक विकास आयुक्त ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबद्ध राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।

(5) प्रत्येक विकास आयुक्त, समय-समय पर, किसी विकासकर्ता या यूनिट से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जो, यथास्थिति, विकासकर्ता या यूनिट के कार्यकरण को मानीटर करने के लिए आवश्यक हो।

(6) विकास आयुक्त, अपने अधीन नियोजित किसी भी अधिकारी को अपनी किन्हीं या सभी शक्तियों या कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय 5

एकल पटल समाशोधन

अनुमोदन समिति का गठन।

13. (1) केन्द्रीय सरकार,—

(क) विद्यमान विशेष आर्थिक जोनों की दशा में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् स्थापित अन्य विशेष आर्थिक जोनों की दशा में, ऐसे विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की तारीख से छह मास के भीतर,

अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन के लिए धारा 14 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा।

(2) प्रत्येक अनुमोदन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) विकास आयुक्त—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) केन्द्रीय सरकार के ऐसे दो अधिकारी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य, पदेन;

(ग) राजस्व से संबंधित मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार के दो अधिकारी, जिन्हें उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य, पदेन;

(घ) आर्थिक कार्य (वित्तीय सेवाओं) से संबंधित मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी, जिसे उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य, पदेन;

(ङ) संबद्ध राज्य सरकार के ऐसे दो अधिकारी जिन्हें उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य, पदेन;

(च) संबद्ध विकासकर्ता का प्रतिनिधि—विशेष आमंत्रिती।

(3) अनुमोदन समिति, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, अपने अधिवेशनों में ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें समिति ठीक समझे, आमंत्रित कर सकेगी जिनकी सहायता और सलाह को वह आवश्यक समझे।

(4) प्रत्येक अनुमोदन समिति ऐसे समय और स्थानों पर अधिवेशन करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) अनुमोदन समिति के कुल सदस्यों के आधे से उसकी गणपूर्ति होगी और अनुमोदन समिति के सभी कार्यों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों की आम सहमति द्वारा किया जाएगा:

परन्तु अनुमोदन समिति के आम सहमति से किसी मामले का विनिश्चय करने में असमर्थ रहने की दशा में, उस मामले को विनिश्चय के लिए अनुमोदन बोर्ड को भेजा जाएगा।

(6) अनुमोदन समिति का कोई कार्य केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि अनुमोदन समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

(7) अनुमोदन समिति के सभी आदेश और विनिश्चय और उसके द्वारा जारी सभी अन्य संसूचनाएं अध्यक्ष या अनुमोदन समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

(8) पदेन सदस्य के उस पद पर न रहने के साथ ही, जिसके आधार पर उसका नामनिर्देशन किया गया था, उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी।

अनुमोदन समिति की शक्तियां और कृत्य।

14. (1) प्रत्येक अनुमोदन समिति निम्नलिखित विषयों के संबंध में कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) विशेष आर्थिक जोन में किसी विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत संक्रियाएं करने के लिए ऐसे जोन में स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र से माल का आयात या उपापन करने का अनुमोदन करना;

(ख) विशेष आर्थिक जोन में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत संक्रियाएं करने के लिए भारत के बाहर से या स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र से सेवा प्रदाता द्वारा सेवाएं प्रदान करने का अनुमोदन करना;

(ग) विशेष आर्थिक जोन में माल या सेवाओं या भाण्डागारण या व्यापार को मानीटर करना;

(घ) विशेष आर्थिक जोन में धारा 15 की उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार विनिर्माण करने या सेवाएं प्रदान करने या भाण्डागारण या व्यापार करने के लिए यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रस्तावों का [धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से भिन्न] अनुमोदन करना या उन्हें उपांतरित करना या नामंजूर करना:

परन्तु जहां अनुमोदन समिति इस बारे में विनिश्चय करने में असमर्थ है कि क्या कोई विशिष्ट प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में आती है या नहीं, वहां वह उसे विनिश्चय के लिए अनुमोदन बोर्ड को निर्दिष्ट करेगी।

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर, यूनिट स्थापित करने के लिए (भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा विनिधानों सहित) विदेशी सहयोगों और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधानों को अनुज्ञात करना;

(च) उन शर्तों के अनुपालन की मानीटरी और पर्यवेक्षण करना जिनके अधीन रहते हुए विकासकर्ता या उद्यमकर्ता को अनुमोदन पत्र या अनुज्ञा, यदि कोई हो, अनुदत्त की गई है;

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबद्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

(2) अनुमोदन समिति ऐसे विकासकर्ता के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का पालन या ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु अनुमोदन समिति का गठन किए जाने तक संबद्ध विकास आयुक्त, अनुमोदन समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।

यूनिट की स्थापना।

15. (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाएं करने के लिए कोई यूनिट स्थापित करना चाहता है, संबद्ध विकास आयुक्त को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी विशिष्टियों से युक्त, जो विहित की जाएं, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु विद्यमान यूनिट इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थापित की गई समझी जाएगी और ऐसी यूनिटों के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त उसको अनुमोदन समिति को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) अनुमोदन समिति या तो प्रस्ताव का बिना किसी उपांतरण के अनुमोदन कर सकेगी या ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपांतरण सहित प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेगी या उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार उस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकेगी:

परंतु किसी प्रस्ताव के उपांतरण या नामंजूरी की दशा में, अनुमोदन समिति संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को उपांतरित करेगी या उसे नामंजूर करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन किए गए अनुमोदन समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अनुमोदन बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(5) यदि कोई अपील उसके लिए विहित समय की समाप्ति के पश्चात् की जाएगी तो वह ग्रहण नहीं की जाएगी:

परंतु कोई अपील उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी बोर्ड का यह समाधान कर देता है कि विहित समय के भीतर अपील न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(6) उपधारा (4) के अधीन की गई प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस भी होगी, जो विहित की जाए।

(7) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परन्तु किसी अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(8) केन्द्रीय सरकार,—

(क) उन अपेक्षाओं को (जिसके अन्तर्गत वह अवधि भी है, जिसके लिए कोई यूनिट स्थापित की जा सकेगी) विहित कर सकेगी जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन समिति, उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव को अनुमोदित, उपांतरित या नामंजूर कर सकेगी;

(ख) ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए यूनिट प्राधिकृत संक्रियाएं करेगी और उसकी बाध्यताएं तथा हकदारियां, विहित कर सकेगी।

(9) विकास आयुक्त, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, संबद्ध व्यक्ति को यूनिट स्थापित करने और उसमें ऐसी संक्रियाएं करने के लिए जिन्हें विकास आयुक्त प्राधिकृत करे, अनुमोदन पत्र अनुदत्त कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक संक्रिया का अनुमोदन पत्र में उल्लेख किया जाएगा।

उद्यमकर्ता के अनुमोदन पत्र का रद्दकरण।

16. (1) अनुमोदन समिति, किसी समय, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण या हेतुक है कि उद्यमकर्ता ने उन निबंधनों और शर्तों में से किसी का या उसकी बाध्यताओं का लगातार अतिक्रमण किया है जिनके अधीन रहते हुए उस उद्यमकर्ता को अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया था, अनुमोदन पत्र को रद्द कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई अनुमोदन पत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि उद्यमकर्ता को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) जहां अनुमोदन पत्र उपधारा (1) के अधीन रद्द कर दिया गया है, वहां यूनिट ऐसे रद्दकरण की तारीख से यूनिट होने के नाते उसे इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध किसी छूट, रियायत, फायदे या कटौती का हकदार नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह उद्यमकर्ता जिसका अनुमोदन पत्र उपधारा (1) के अधीन रद्द कर दिया गया है, अपनी यूनिट से संबंधित स्टॉक में पड़े पूंजीगत माल और तैयार माल या अप्रयुक्त कच्ची सामग्री के संबंध में उसके द्वारा ली गई छूट, रियायत, वापसी और किसी अन्य फायदे को ऐसी रीति से वापस करेगा जो विहित की जाए।

(4) अनुमोदन समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(5) यदि कोई अपील उसके लिए विहित समय की समाप्ति के पश्चात् की जाएगी तो वह ग्रहण नहीं की जाएगी:

परंतु कोई अपील उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी बोर्ड का यह समाधान कर देता है कि विहित समय के भीतर अपील न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(6) उपधारा (4) के अधीन की गई प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस भी होगी, जो विहित की जाए।

(7) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परन्तु किसी अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

अपतट बैंककारी यूनिट की स्थापना और उसका प्रचालन।

17. (1) किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई अपतट बैंककारी यूनिट स्थापित करने और उसका प्रचालन करने के लिए आवेदन रिजर्व बैंक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, रिजर्व बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, तो ऐसे आवेदक को अपतट बैंककारी यूनिट की स्थापना और उसका प्रचालन करने की अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(3) रिजर्व बैंक, अधिसूचना द्वारा, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन रहते हुए कोई अपतट बैंककारी यूनिट विशेष आर्थिक जोन में स्थापित और प्रचालित की जा सकेगी।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की स्थापना।

18. (1) केन्द्रीय सरकार किसी विशेष आर्थिक जोन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापित करने का अनुमोदन कर सकेगी और ऐसा केन्द्र स्थापित करने और उसे प्रचालित करने के लिए अपेक्षाएं विहित कर सकेगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, किसी विशेष आर्थिक जोन में केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्र का अनुमोदन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, जो रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा, विनियामक और विकास प्राधिकरण और ऐसे अन्य संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा जिन्हें वह ठीक समझे, बनाए जाएं, किसी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में यूनिटों को स्थापित करने के लिए अपेक्षाएं और उनके प्रचालन के निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी।

एकल आवेदन प्ररूप, विवरणी, आदि।

19. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि अपेक्षित हो,—

(क) किसी विकासकर्ता या किसी उद्यमकर्ता द्वारा किसी एक या अधिक केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण, या अनुमोदन अभिप्राप्त किए जाने के लिए एकल आवेदन का प्ररूप विहित कर सकेगी;

(ख) विशेष आर्थिक जोन के विकास या यूनिटें स्थापित करने या उनके प्रचालन से संबंधित विषयों के बारे में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड, विकास आयुक्त या अनुमोदन समिति को प्राधिकृत कर सकेगी;

(ग) किसी विकासकर्ता या किसी उद्यमकर्ता द्वारा किसी एक या अधिक केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन विवरणी या जानकारी देने के लिए एकल प्ररूप विहित कर सकेगी।

निरीक्षण करने के लिए अभिकरण।

20. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा किसी केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण या निरीक्षण करने हेतु किसी अधिकारी या अभिकरण को विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसा अधिकारी या अभिकरण ऐसे सत्यापन या अनुपालन की रिपोर्ट ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

अधिसूचित अपराधों के लिए एकल प्रवर्तन अधिकारी या अभिकरण।

21. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन दण्डनीय बनाए गए किसी कृत्य या लोप को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित अपराध के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी विशेष आर्थिक जोन में किए गए किसी अधिसूचित अपराध या अपराधों की बाबत किसी अधिकारी या अभिकरण को प्रवर्तन अधिकारी या अभिकरण के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या अभिकरण को अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण की ऐसी सभी तत्संबंधी शक्तियां होंगी, जो अधिसूचित अपराध की बाबत सुसंगत केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं।

अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण।

22. धारा 20 या धारा 21 के अधीन विनिर्दिष्ट अभिकरण या अधिकारी, संबंधित विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देकर, विशेष आर्थिक जोन या किसी यूनिट में अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण कर सकेगा यदि ऐसे अभिकरण या अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं (कारण लेखबद्ध किए जाएंगे) कि किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई अधिसूचित अपराध किया गया है या उसके किए जाने की संभावना है :

परन्तु धारा 21 की उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण या अधिकारी से भिन्न किसी अभिकरण या अधिकारी द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण, संबंधित विकास आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कोई अधिकारी या अभिकरण, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, किसी विशेष आर्थिक जोन या यूनिट में कोई अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण विकास आयुक्त को पूर्व सूचना दिए बिना या उसके अनुमोदन के बिना कर सकेगा।

वादों और अधिसूचित अपराधों का विचारण करने के लिए अभिहित न्यायालय।

23. (1) राज्य सरकार, जिसमें विशेष आर्थिक जोन स्थित है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से—

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्भूत होने वाले सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने के लिए; और

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए गए अधिसूचित अपराधों का विचारण करने के लिए, एक या अधिक न्यायालयों को अभिहित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी वाद का विचारण या किसी अधिसूचित अपराध का विचारण नहीं करेगा:

परन्तु वे न्यायालय जिनमें किसी विशेष आर्थिक जोन में सिविल प्रकृति का कोई वाद इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व फाइल किया गया हो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् वाद का विचारण करते रहेंगे:

परन्तु यह और कि वे न्यायालय जिनमें किसी अधिसूचित अपराध का कोई विचारण इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया जा रहा है, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् ऐसे अपराध का विचारण करते रहेंगे:

परन्तु यह भी कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी अधिसूचित अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् ऐसे अपराध के संबंध में विचारण तब तक करते रहेंगे जब तक कि न्यायालयों को उपधारा (1) के अधीन अभिहित न कर दिया जाए और ऐसे विचारण संबंधी सभी ऐसे मामले उसके पश्चात् इस प्रकार अभिहित किए गए ऐसे न्यायालय को अंतरित किए जाएंगे जो उस प्रक्रम से विचारण करेंगे जिस पर ऐसे मामले इस प्रकार अंतरित किए गए थे।

उच्च न्यायालय को अपील।

24. धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित न्यायालय के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अभिहित न्यायालय के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेशों से उद्भूत होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर उसे फाइल किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—धारा 23 में और इस धारा में "उच्च न्यायालय" से उस राज्य का, जिसमें विशेष आर्थिक जोन स्थित है, उच्च न्यायालय अभिप्रेत है।

कंपनियों द्वारा अपराध।

25. (1) जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि उसने यह साबित कर दिया है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 6

विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में विशेष वित्तीय उपबंध

प्रत्येक विकासकर्ता और उद्यमकर्ता को छूट, वापसियां और रियायतें।

26. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विकासकर्ता और उद्यमकर्ता निम्नलिखित छूटों, वापसियों और रियायतों का हकदार होगा, अर्थात्:—

(क) विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा प्राधिकृत संक्रियाएं किए जाने के लिए विशेष आर्थिक जोन या यूनिट में आयात किए गए माल या प्रदान की गई सेवा पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी सीमाशुल्क से छूट; 1962 का 52 1975 का 51

(ख) विशेष आर्थिक जोन से या यूनिट से भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात किए गए माल पर या प्रदान की गई सेवाओं पर, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी सीमाशुल्क से छूट; 1962 का 52 1975 का 51

(ग) विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा प्राधिकृत संक्रियाएं किए जाने के लिए किसी स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन या यूनिट में लाए गए माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क से छूट; 1944 का 1 1986 का 5

(घ) विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा प्राधिकृत संक्रियाएं किए जाने के लिए स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन या यूनिट में लाए गए माल, या प्रदान की गई सेवाओं या भारत के बाहर अवस्थित सेवा प्रदाताओं द्वारा विशेष आर्थिक जोन या यूनिट में प्रदान की गई सेवाओं पर ऐसी वापसी या ऐसे अन्य फायदे, जो समय-समय पर अनुज्ञेय हों;

(ङ) विकासकर्ता या यूनिट को विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं को करने के लिए प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन सेवा-कर से छूट; 1994 का 32

(च) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 के अधीन उद्ग्रहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर से छूट, यदि कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार, किसी अनिवासी द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के माध्यम से किए जाते हैं; 2004 का 23

(छ) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन समाचारपत्रों से भिन्न माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण से छूट, यदि ऐसे माल विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा प्राधिकृत संक्रियाओं को करने के लिए आशयित हैं। 1956 का 74

(2) केन्द्रीय सरकार वह रीति, जिसमें और ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन विकासकर्ता या उद्यमकर्ता को छूटें, रियायतें, वापसी या अन्य फायदे दिए जाएंगे, विहित कर सकेगी।

आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों का कतिपय उपांतरण सहित विकासकर्ताओं और उद्यमकर्ताओं के संबंध में लागू होना।

27. तत्समय यथा प्रवृत्त आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंध विशेष आर्थिक जोन या यूनिट में प्राधिकृत संक्रियाओं को करने के लिए विकासकर्ता या उद्यमकर्ता को या उनके संबंध में दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे। 1961 का 43

विशेष आर्थिक जोनों में माल या सेवाओं की अवधि।

28. केन्द्रीय सरकार, वह अवधि विहित कर सकेगी जिसके दौरान किसी यूनिट या विशेष आर्थिक जोन में लाया गया कोई माल या प्रदान की गई सेवाएं कर, शुल्क या उपकर का संदाय किए बिना ऐसी यूनिट या ऐसे विशेष आर्थिक जोन में बना रहेगा या प्रदान की जाती रहेंगी।

स्वामित्व का अंतरण और माल का हटाया जाना।

29. किसी यूनिट या विशेष आर्थिक जोन में लाए गए या उत्पादित या विनिर्मित किसी माल के स्वामित्व का अंतरण या उसे ऐसे यूनिट या जोन से हटाया जाना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, अनुज्ञात किया जाएगा।

यूनिटों द्वारा घरेलू निकासी।

30. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन से स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में हटाया गया माल सीमाशुल्क से जिसके अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन प्रतिपाटन शुल्क, प्रतिशुल्क और सुरक्षा शुल्क भी है, जहां लागू हो, इस प्रकार प्रभार्य होगा, जैसे वे ऐसे माल पर तब उद्ग्रहणीय होते, जब वह आयातित किया जाता; और 1975 का 51

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन से हटाए गए माल पर लागू शुल्क की दर और टैरिफ मूल्य, यदि कोई हो, इस प्रकार हटाए जाने की तारीख को और जहां ऐसी तारीख सुनिश्चित नहीं की जा सकती हो, वहां शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर और टैरिफ मूल्य होगा।

अध्याय 7

विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन।

31. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उसके द्वारा स्थापित या जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया जाए, प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे .... (विशेष आर्थिक जोन का नाम) प्राधिकरण कहा जाएगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विद्यमान विशेष आर्थिक जोनों की बाबत, ऐसा प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर गठित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जब तक ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं कर दिया जाता, ऐसे विद्यमान विशेष आर्थिक जोन पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी (जिसके अंतर्गत विकास आयुक्त भी है) विशेष आर्थिक जोन पर प्राधिकरण का गठन किए जाने तक ऐसा नियंत्रण करता रहेगा।

(2) प्रत्येक प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्रत्येक प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(4) कोई प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(5) प्रत्येक प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) उस विशेष आर्थिक जोन का, जिस पर प्राधिकरण अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, विकास आयुक्त — अध्यक्ष, पदेन;

(ख) केन्द्रीय सरकार के ऐसे दो अधिकारी जिन्हें विशेष आर्थिक जोन से संबंधित विषयों का ज्ञान हो या उनका ऐसे क्षेत्र में अनुभव हो, जिन्हें उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए—सदस्य, पदेन;

(ग) विशेष आर्थिक जोन से संबंधित विषयों पर वाणिज्य से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का एक अधिकारी — सदस्य, पदेन;

(घ) दो से अनधिक व्यक्ति जो उद्यमकर्त्ता या उनके नामनिर्देशिती हों जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य, पदेन।

(6) किसी प्राधिकरण के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विहित की जाए।

(7) प्राधिकरण ऐसी रीति में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह उसे अपने कृत्यों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए अपेक्षित है और वह व्यक्ति ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करने का हकदार होगा जो प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए।

(8) प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी और प्राधिकरण के सभी कार्य उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।

(9) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

(10) प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे समय पर और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द।

32. (1) उस विशेष आर्थिक जोन का प्रत्येक विकास आयुक्त, जिसके लिए उसे उस रूप में नियुक्त किया गया है, संबंधित प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक प्राधिकरण, धारा 33 के अधीन उसको अंतरित अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति, सेवा की शर्तें, वेतनमान तथा भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

प्राधिकरण को अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के अंतरण के लिए विशेष उपबंध।

33. (1) केन्द्रीय सरकार के लिए, संबंधित विद्यमान विशेष आर्थिक जोन में पदधारण करने वाले किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को (ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के सिवाय जो प्रतिनियुक्ति पर हैं) आदेश द्वारा, ऐसी तारीख या तारीखों से जो आदेश में विहित की जाएं, प्राधिकरण को अंतरित करना विधिमान्य होगा:

परंतु उस पद का वेतनमान जिस पर ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अंतरित किया जाता है, उस पद के वेतनमान से निम्नतर नहीं होगा जिसको वह ऐसे अंतरण से ठीक पूर्व धारण कर रहा था और उस पद की जिस पर उसका अंतरण किया जाता है, सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सा प्रसुविधाएं भी हैं) ऐसे अंतरण से ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद के संबंध में सेवा के निबंधनों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी:

परंतु यह और कि यदि, उसके अंतरण से ठीक पूर्व, कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर किसी छुट्टी के कारण रिक्ति या विनिर्दिष्ट अवधि की किसी रिक्ति के कारण स्थानापन्न कार्य कर रहा था, तो उसका वेतन और अन्य भत्ते, यदि कोई हों, अंतरण पर ऐसी रिक्ति की अनवसित अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे और तत्पश्चात् वह केन्द्रीय सरकार के अधीन उस पद को लागू वेतनमान का हकदार होगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब वह उस पर प्रतिवर्तित हुआ होता यदि वह प्राधिकरण में अंतरित न हुआ होता।

(2) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी विषय, जिसके अंतर्गत पारिश्रमिक, पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सीय प्रसुविधाएं भी हैं, से संबंधित सेवा के विहित निबंधन और शर्तें उस पद से संबद्ध निबंधनों और शर्तों से कम अनुकूल हैं, जो प्राधिकरण को उसके अंतरण से ठीक पूर्व किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा धारित पद से संबद्ध थीं तो इस विषय में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्राधिकरण के कृत्य।

34. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह उस विशेष आर्थिक जोन के, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, विकास, प्रचालन और प्रबंध के लिए ऐसे उपाय करे, जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा,—

(क) विशेष आर्थिक जोन में अवसंरचना का विकास करना;

(ख) विशेष आर्थिक जोन से निर्यातों का संवर्धन करना;

(ग) विशेष आर्थिक जोन के कार्यकरण और कार्यपालन का पुनर्विलोकन करना;

(घ) प्राधिकरण की संपत्तियों के उपयोग के लिए उपयोक्ता या सेवा प्रभार अथवा फीस या किराए का उद्ग्रहण करना;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विहित किए जाएं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार।

35. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक प्राधिकरण को अनुदान और उधारों के रूप में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जितनी वह सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त समझे।

निधि की स्थापना और उसका उपयोजन।

36. (1) प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक निधि स्थापित की जाएगी जिसे (संबद्ध विशेष आर्थिक जोन का नाम) प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) वे सभी धनराशियां जो केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को प्रदान करे;

(ख) वे सभी अनुदान या उधार जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को दिए जाएं;

(ग) प्राधिकरण की संपत्तियों के उपयोग के लिए उपयोक्ता या सेवा प्रभार या फीस अथवा किराए के रूप में प्राप्त सभी राशियां;

(घ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति करने के लिए किया जाएगा,—

(क) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 34 के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) किसी उधार का प्रतिदाय;

(घ) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय; और

(ङ) प्राधिकरण के कोई अन्य प्रशासनिक व्यय।

लेखा और संपरीक्षा।

37. (1) प्रत्येक प्राधिकरण, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित करे।

(2) प्रत्येक प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर करेगा, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त उस व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्टरूप से बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक प्राधिकरण के लेखा, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश।

38. प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए उसे जारी करे।

विवरणियां और रिपोर्टें।

39. (1) प्रत्येक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाएं या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, किसी विशेष आर्थिक जोन और यूनिटों में निर्यात के संवर्धन और विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में ऐसी विवरणियां और विवरण तथा ऐसी विशिष्टियां देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, देगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात्,यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

40. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों से परे कार्य किया है या उनका दुरुपयोग किया है या जानबूझकर अथवा पर्याप्त हेतुक के बिना, धारा 38 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उस प्राधिकरण को ऐसी अवधि के लिए जो छह मास से अधिक की न हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार उस प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित समय देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करेगी।

(2) प्राधिकरण को अतिष्ठित करते हुए, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अधिक्रमण की तारीख से ही उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, अधिक्रमण की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे;

(ग) प्राधिकरण में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर,—

(क) अधिक्रमण की अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी; या

(ख) धारा 31 में उपबंधित रीति में प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी।

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

41. प्रत्येक प्राधिकरण के सभी सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं। 1860 का 45

अध्याय 8

प्रकीर्ण

विवाद का निर्देश।

42. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि,—

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन में दो या अधिक उद्यमकर्ताओं या दो या अधिक विकासकर्ताओं के बीच या उद्यमकर्ता और विकासकर्ता के बीच सिविल प्रकृति का कोई विवाद उद्भूत होता है; और

(ख) ऐसे विवाद के संबंध में वादों का विचारण करने के लिए न्यायालय या न्यायालयों को धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित नहीं किया गया या,

तो ऐसा विवाद मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई विवाद धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन न्यायालय या न्यायालयों को अभिहित किए जाने की तारीख को या उसके पश्चात् मध्यस्थता के लिए निर्देशित नहीं किया जाएगा।

(2) जहां कोई विवाद उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वहां उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा निपटाया या विनिश्चित किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी माध्यस्थम् को इस प्रकार लागू होंगे मानो माध्यस्थम् के लिए कार्यवाही माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन, निपटान या विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की गई हो। 1996 का 26

परिसीमा।

43. (1) किसी ऐसे विवाद की दशा में जिसे माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, परिसीमा की अवधि, परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंधों द्वारा ऐसे विनियमित होगी मानो विवाद कोई वाद है और मध्यस्थ सिविल न्यायालय है। 1963 का 36

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यस्थ परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी विवाद को ग्रहण कर सकेगा, यदि आवेदक मध्यस्थ का यह समाधान कर देता है कि विवाद को ऐसी अवधि के भीतर निर्दिष्ट नहीं करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

इस अधिनियम के उपबंधों का विद्यमान विशेष आर्थिक जोनों को लागू होना।

44. इस अधिनियम के सभी उपबंध (धारा 3 और धारा 4 के सिवाय), यथाशक्य प्रत्येक विद्यमान विशेष आर्थिक जोन को लागू होंगे।

वे व्यक्ति, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन संसूचना भेजी जा सकेगी।

45. इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा कोई संसूचना उस व्यक्ति को भेजी जा सकेगी जिसका विशेष आर्थिक जोन या यूनिट के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है या जहां ऐसे कार्य किसी प्रबंधक, निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को, वह चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सौंपे गए हों वहां ऐसी संसूचनाएं ऐसे प्रबंधक, निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को भेजी जा सकेगी।

पहचान पत्र।

46. प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी विशेष आर्थिक जोन में नियोजित है, या निवास कर रहा है या उससे उसमें उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे विशेष आर्थिक जोन के प्रत्येक विकास आयुक्त द्वारा पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों से युक्त, जो विहित की जाएं, प्रदान किया जाएगा ।

प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी।

47. ऐसा प्राधिकारी, जिसे किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन कोई शक्ति प्रदत्त की गई है या जिससे किसी कृत्य का निर्वहन करना अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी विशेष आर्थिक जोन में उस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

48. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या बोर्ड, या अनुमोदन समिति, या प्राधिकरण के किसी अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या विकास आयुक्त के विरुद्ध नहीं होगी।

विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में इस अधिनियम या अन्य अधिनियमितियों के उपबंधों को उपांतरित करने की शक्ति।

49. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम (धारा 53 से धारा 56 तक से भिन्न) या किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना या आदेश या दिए गए किसी निदेश का उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई उपबंध (नियम या विनियम बनाने से संबंधित उपबंधों से भिन्न)—

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक जोनों के किसी वर्ग या सभी विशेष आर्थिक जोनों को लागू नहीं होगा; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक जोनों के किसी वर्ग या सभी विशेष आर्थिक जोनों को केवल ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होगा:

परंतु इस धारा की कोई बात, किसी केन्द्रीय अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या उसके अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश या दिए गए किसी निदेश या बनाई गई

किसी स्कीम के किन्हीं उपांतरणों को, जहां तक ऐसे उपांतरण, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश या निदेश या स्कीम का, किसी विशेष आर्थिक जोन को लागू व्यापार संघों, औद्योगिक और श्रम विवादों, श्रमिक कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं भविष्य निधि, नियोजक दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन और प्रसूति फायदे भी हैं, से संबंधित विषयों से संबंध है, लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्थापित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएंगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन अधिसूचना के जारी किए जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हो गए हों।

छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति।

50. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, विकासकर्ताओं और यूनिटों के लिए नीतियां अधिसूचित कर सकेगी और—

(क) विकासकर्ता या उद्यमकर्ता को राज्य करों, उद्ग्रहणों और शुल्कों से छूट प्रदान करने वाली;

(ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को, विकासकर्ता या उद्यमकर्ता के संबंध में विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करने वाली,

किसी विधि के अधिनियमन के लिए उपयुक्त उपाय कर सकेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

51. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

कतिपय उपबंधों का लागू न होना।

1962 का 52

52. (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 10क और तद्धीन बनाए गए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2003 और विशेष आर्थिक जोन (सीमाशुल्क प्रक्रिया) विनियम, 2003 में अंतर्विष्ट उपबंध, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, किसी विशेष आर्थिक जोन को लागू नहीं होंगे।

1962 का 52

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और तद्धीन बनाए गए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2003 और विशेष आर्थिक जोन (सीमाशुल्क प्रक्रिया) विनियम, 2003 के किन्हीं उपबंधों के अधीन किए गए सभी अपराध, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों और विनियमों के उक्त उपबंधों के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत बनाया गया कोई नियम, जारी की गई अधिसूचना, किया गया निरीक्षण, आदेश या जारी की गई सूचना या अनुदत्त कोई अनुज्ञा या प्राधिकार या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज भी है, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, उस उपधारा में निर्दिष्ट अधिनियम या नियमों या विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या बनाया गया या जारी की गई या अनुदत्त या निष्पादित की गई समझी जाएंगी।

कतिपय मामलों में विशेष आर्थिक जोनों का पत्तन, विमान-पत्तन, अंतरदेशीय आधान डिपो, भूमि स्टेशन, आदि होना।

53. (1) कोई विशेष आर्थिक जोन, नियत तारीख से ही, प्राधिकृत संक्रियाओं को करने के प्रयोजनों के लिए भारत के सीमाशुल्क राज्यक्षेत्र से बाहर का राज्यक्षेत्र समझा जाएगा।

1962 का 52

(2) कोई विशेष आर्थिक जोन उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अधीन, यथास्थिति, पत्तन, विमानपत्तन, अंतरदेशीय आधान डिपो, भूमि स्टेशन और भूमि सीमाशुल्क स्टेशन समझा जाएगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न विशेष आर्थिक जोनों के लिए, भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

पहली अनुसूची का संशोधन।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति को, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व, दोनों सदन अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए, सहमत हो जाते हैं तो, यथास्थिति, वह अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही जिस पर दोनों सदन सहमत हो गए हों जारी की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

55. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 के खंड (त) के अधीन विशेष आर्थिक जोनों के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं और खंड (य) के अधीन विशेष आर्थिक जोन में सेवाएं;

(ख) वह अवधि, जिसके भीतर संबंधित व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार की सहमति अभिप्राप्त करेगा;

(ग) वह प्ररूप जिसमें तथा वह रीति जिससे कोई प्रस्ताव किया जा सकेगा और धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उसमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां;

(घ) वह अवधि जिसके भीतर राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अपनी सिफारिशों सहित प्रस्थापना भेज सकेगी;

(ङ) वे अपेक्षाएं जिनके अधीन रहते हुए, बोर्ड, धारा 3 की उपधारा (8) के अधीन प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेगा, उसमें उपांतरण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा;

(च) वह अवधि जिसके भीतर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सरकार या विकासकर्ता या उद्यमकर्ता को अनुमोदन पत्र संसूचित किया जाएगा;

(छ) किसी राज्य में विनिर्दिष्ट रूप से पहचान किए गए क्षेत्र को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करने के लिए अन्य अपेक्षाएं;

(ज) वे निबंधन, शर्तें तथा परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए, स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में से विशेष आर्थिक जोन को निर्यात किए गए या उसमें आयात किए गए या उससे उपाप्त माल या सेवाओं को धारा 7 के अधीन करों, शुल्कों, या उपकर के संदाय से छूट दी जा सकेगी;

(झ) धारा 10 की उपधारा (9) के खण्ड (क) के अधीन किसी विकासकर्ता के अनुमोदन पत्र के निलंबन की दशा में, अनुमोदन पत्र के अंतरण के लिए प्रक्रिया;

(ञ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसमें अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां;

(ट) वह समय जिसके भीतर अनुमोदन समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन अपील कर सकेगा;

(ठ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन अपील की जाएगी और ऐसी अपील करने के लिए फीस;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (7) के अधीन किसी अपील को निपटाने के लिए प्रक्रिया;

(ढ) वे अपेक्षाएं (जिसके अंतर्गत वह अवधि भी है, जिसके लिए यूनिट स्थापित की गई हो), जिनके अधीन रहते हुए कोई प्रस्ताव धारा 15 की उपधारा (8) के खंड (क) के अधीन अनुमोदित, उपांतरित या नामंजूर किया जा सकेगा;

(ण) किसी यूनिट के लिए निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए वह धारा 15 की उपधारा (8) के खंड (ख) के अधीन प्राधिकृत संक्रियाएं करेगी और यूनिट की बाध्यताएं और हकदारी;

(त) वह समय जिसके भीतर अनुमोदन समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन अपील कर सकेगा;

(थ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अपील की जाएगी और अपील करने के लिए फीस;

(द) धारा 16 की उपधारा (7) के अधीन किसी अपील के निपटान के लिए प्रक्रिया;

(ध) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

(न) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी विशेष आर्थिक जोन में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की स्थापना तथा उसके प्रचालन के लिए अपेक्षाएं;

(प) वे अपेक्षाएं और निबंधन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किसी विशेष आर्थिक जोन में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई यूनिट स्थापित और प्रचालित की जा सकेगी;

(फ) धारा 19 के खंड (क) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए एकल आवेदन का प्ररूप;

(ब) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन किसी उद्यमकर्ता या विकासकर्ता द्वारा एकल विवरणी या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप;

(भ) वह रीति जिसमें और वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक विकासकर्ता और उद्यमकर्ता को छूट तथा रियायतें वापसी या अन्य फायदे अनुदत्त किए जाएंगे;

(म) वह अवधि जिसके दौरान किसी विशेष आर्थिक जोन में लाया गया माल या प्रदान की गई सेवाएं धारा 28 के अधीन ऐसी यूनिट या विशेष आर्थिक जोन में बना रहेगा या प्रदान की जाती रहेंगी;

(य) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 29 के अधीन किसी यूनिट या, विशेष आर्थिक जोन के भीतर लाए गए या उसमें उत्पादित या विनिर्मित किसी माल के स्वामित्व का अन्तरण या ऐसी यूनिट अथवा जोन से उसका हटाया जाना अनुज्ञात किया जाएगा;

(यक) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए यूनिटें धारा 30 के अधीन किसी विशेष आर्थिक जोन में विनिर्मित माल का स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र को विक्रय करने के लिए हकदार होंगी;

(यख) धारा 31 की उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक प्राधिकरण के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तथा रिक्तियों को भरने की रीति;

(यग) वह रीति जिसमें, और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वे प्रयोजन जिनके लिए कोई व्यक्ति धारा 31 की उपधारा (7) के अधीन सहयुक्त किया जा सकेगा;

(यघ) धारा 31 की उपधारा (10) के अधीन अधिवेशनों के समय और स्थान तथा अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(यङ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक विकास आयुक्त की शक्तियां और उसके कृत्य;

(यच) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति, उनकी सेवा-शर्तें तथा वेतनमान और भत्ते;

(यछ) धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य कृत्य;

(यज) वह प्ररूप जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक प्राधिकरण के लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखे जाएंगे और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(यझ) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे और वह समय जब प्रत्येक प्राधिकारी धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और विवरण तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा;

(यञ) वह प्ररूप जिसमें तथा वह तारीख जिससे पूर्व प्रत्येक प्राधिकारी धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन अपने क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(यट) वह प्ररूप जिसमें और वे विशिष्टियां जो धारा 46 के अधीन पहचान पत्र में अन्तर्विष्ट की जाएंगी;

(यठ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

56. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

57. ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां उसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएंगी:

परन्तु ऐसी भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी जिनको तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन किसी विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक जोन के किसी वर्ग या सभी विशेष आर्थिक जोनों को लागू होंगे।

व्यावृत्तियां।

58. विशेष आर्थिक जोन से संबंधित किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए गए तात्पर्यित सभी नियम या जारी की गई या जारी की गई तात्पर्यित सभी अधिसूचनाएं, जहां तक उनका संबंध उन विषयों से है जिनके लिए इस अधिनियम में या तद्धीन बनाए गए नियमों में या जारी की गई अधिसूचना में उपबंध किया जाता है, और वे उनसे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार बनाए गए या जारी की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जिसको ऐसे नियम बनाए गए थे या अधिसूचनाएं जारी की गई थीं और तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे या बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दिए जाते हैं या नहीं कर दी जाती हैं।

पहली अनुसूची

(धारा 7 और धारा 54 देखिए)

अधिनियमितियां

1. कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 (1940 का 27)।
2. काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7)।
3. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22)।
4. रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24)।
5. चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29)।
6. नमक उपकर अधिनियम, 1953 (1953 का 49)।
7. ओषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16)।
8. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58)।
9. चीनी (उत्पादन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 55)।
10. टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41)।
11. उपज उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15)।
12. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13)।
13. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28)।
14. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)।
15. तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 (1975 का 26)।
16. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40)।
17. चीनी उपकर अधिनियम, 1982 (1982 का 3)।
18. जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 28)।
19. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3)।
20. गर्म मसाला उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 11)।
21. अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32)।

दूसरी अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में उपांतरण

(क) धारा 10 में,—

(अ) खंड (15) में उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(viii) किसी अनिवासी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो मामूली तौर पर भारत में निवासी नहीं है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (प) में निर्दिष्ट अपतट बैंककारी यूनिट में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए निक्षेप पर प्राप्त ब्याज के रूप में कोई आय;";

(आ) खंड (23छ) में "धारा 80झक की उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या धारा 80झकख की उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(इ) खंड (34) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश को किसी ऐसे निर्धारिती की, जो विकासकर्ता या उद्यमकर्ता है, कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।";

(ख) धारा 10क में, उपधारा (7क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7ख) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में निर्दिष्ट यूनिट है और जिसने 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी विशेष आर्थिक जोन में वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना आरंभ कर दिया है या करता है।";

(ग) धारा 10क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध।

'10कक. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे निर्धारिती की, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा (2) के खंड (ञ) में निर्दिष्ट उद्यमकर्ता है, ऐसी यूनिट से, जो 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीज़ों का विनिर्माण या उत्पादन करना या कोई सेवा प्रदान करना आरंभ करती है, कुल आय की संगणना करने में,—

(i) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यूनिट, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना या सेवाएं प्रदान करना आरंभ करती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाली पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं या चीजों के निर्यात से या सेवाओं से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत की तथा अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए और उसके पश्चात् ऐसे लाभ और अभिलाभ के पचास प्रतिशत की;

(ii) आगामी पाँच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लाभ के पचास प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम की, जिसे उस पूर्ववर्ष के जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी है, लाभ और हानि लेखे में विकलित किया गया हो और उपधारा (2) में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए सृजित और उपयोजित किए जाने वाले आरक्षिति खाते में (जिसे "विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान आरक्षिति खाता" कहा जाएगा) जमा किया गया हो,

कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञात होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:—

(क) विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान आरक्षिति खाते में जमा रकम को—

(i) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को, जिसको पहली बार उस पूर्ववर्ष के, जिसमें आरक्षिति सृजित की गई थी, आगामी तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयोग में लाया जाता है, अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए; और

(ii) पूर्वोक्तानुसार मशीनरी या संयंत्र का अर्जन किए जाने तक, लाभांशों तथा लाभों के वितरण या भारत से बाहर लाभों के रूप में प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन से भिन्न उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए,

उपयोजित किया जाना है;

(ख) धारा 10क की उपधारा (1ख) के खंड (ख) के अधीन मशीनरी या संयंत्र की बाबत ऐसी विशिष्टियां, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसे संयंत्र या मशीनरी को पहली बार प्रयोग में लाया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) जहां उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान आरक्षिति खाते में जमा की गई किसी रकम को,—

(क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोजित किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोजित की गई रकम को; या

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयोजित नहीं किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोजित न की गई रकम को,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस वर्ष में, जिसमें रकम इस प्रकार उपयोजित की गई थी; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि से ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष में,

लाभ समझा जाएगा और तद्नुसार कर से प्रभारित किया जाएगा:

परंतु जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए यूनिट की कुल आय की संगणना करने के लिए उसके लाभ और अभिलाभ को धारा 10क की उपधारा (7ख) के उपबंधों के लागू होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया था, वहां उपक्रम, जो यूनिट है, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए ही इस उपधारा में निर्दिष्ट कटौती का हकदार होगा और तत्पश्चात् वह उपधारा (1) के खंड (ii) में उपबंधित किए गए अनुसार आय से कटौती के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण — शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई उपक्रम, जो यूनिट है, जिसने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व धारा 10क में निर्दिष्ट कटौतियों का दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों तक लाभ प्राप्त कर लिया था, तो ऐसी यूनिट इस धारा के अधीन आय से कटौती के लिए पात्र नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां ऐसी कोई यूनिट जो आरंभ में किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में अवस्थित थी, बाद में ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के विशेष आर्थिक जोन में संपरिवर्तन के कारण विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित हो जाती है वहां ऊपर निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि की संगणना, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यूनिट ने, ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या चीज़ों का विनिर्माण या उत्पादन या प्रसंस्करण करना या विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां ऐसी कोई यूनिट जो आरंभ में किसी मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंस्करण जोन में अवस्थित थी, बाद में ऐसे मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंस्करण जोन के विशेष आर्थिक जोन में संपरिवर्तन के कारण विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित हो जाती है और उसने ऊपर निर्दिष्ट दस

क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि पूरी कर ली है, वहां वह 1 अप्रैल, 2006 से उपधारा (1) के खंड (ii) में उपबंधित किए गए अनुसार आय से कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

(4) यह धारा ऐसे उपक्रम को, जो यूनिट है, लागू होती है जिसने किसी विशेष आर्थिक जोन में 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन या सेवाओं का प्रदान करना आरंभ किया है या आरंभ करता है।

(5) जहां कोई ऐसा उपक्रम जो यूनिट है, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समामेलन या पुनर्विलय की स्कीम के अधीन किसी अन्य उपक्रम को जो यूनिट है अंतरित किया जाता है, वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या पुनर्विलय होता है, समामेलित या पुनर्विलीन यूनिट को जो कंपनी है, कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या पुनर्विलीन कंपनी को उसी प्रकार लागू होते रहेंगे मानो समामेलन या पुनर्विलय न हुआ हो।

(6) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट हानि, जहां तक ऐसी हानि, उपक्रम जो यूनिट है, के, कारबार से संबंधित है, अग्रनीत या मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से (जिसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है) व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका ऐसे उपक्रम के, जो यूनिट है, कारबार के लाभ से वही अनुपात है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या सेवाओं की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के कुल आवर्त से है।

(8) धारा 10क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंध उपधारा (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों या सेवाओं को इस प्रकार लागू होंगे, मानो—

(क) "1 अप्रैल, 2001" अंकों और शब्द के स्थान पर "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द रखे गए हों;

(ख) "उपक्रम" शब्द के स्थान पर "उपक्रम, जो यूनिट है" शब्द रखे गए हों।

(9) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निर्यात आवर्त" से, निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त की गई या लाई गई वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के उपक्रम द्वारा, जो यूनिट है, निर्यात की बाबत प्रतिफल अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत भारत से बाहर वस्तुओं या चीजों के परिदान के संबंध में भाड़ा, दूर-संचार प्रभार या बीमा या भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने में (जिसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है) विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं हैं;

(ii) "विशेष आर्थिक जोन के संबंध में निर्यात" से किसी विशेष आर्थिक जोन से भारत के बाहर भूमिमार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग या किसी अन्य ढंग द्वारा, चाहे शारीरिक हो या अन्यथा, माल ले जाना या सेवा प्रदान करना अभिप्रेत है;

(iii) "विनिर्माण" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (द) में है;

(iv) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से इस धारा में निर्दिष्ट पंद्रह क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाला कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(v) "विशेष आर्थिक जोन" और "यूनिट" के वही अर्थ हैं जो, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) और खंड (यग) में उनके हैं।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थल पर विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत से बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।';

(घ) धारा 54छ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

औद्योगिक उपक्रम के शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानान्तरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट।

"54छक. (1) धारा 54छ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी पूंजी आस्ति के, जो किसी शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसे औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र या भवन या भूमि या किसी भवन या भूमि पर कोई अधिकार है, अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर, जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम के किसी विशेष आर्थिक जोन में, चाहे वह किसी शहरी क्षेत्र में विकसित हुआ हो, या किसी अन्य क्षेत्र में अंतरण के अनुक्रम में या उसके परिणामस्वरूप हुआ है, और निर्धारिती ने उस तारीख से, जिसको अंतरण हुआ था, पहले एक वर्ष या उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर,—

(क) उस विशेष आर्थिक जोन में जिसमें उक्त उपक्रम ले जाया गया है, औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए मशीनरी या संयंत्र क्रय किया है;

(ख) विशेष आर्थिक जोन में अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए भवन या भूमि का अर्जन किया है या भवन का सन्निर्माण किया है;

(ग) मूल आस्ति को और ऐसे उपक्रम के स्थापन को ऐसे विशेष आर्थिक जोन में स्थानांतरित किया है; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए बनाई गई किसी स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रयोजनों पर व्यय उपगत किए हैं,

वहां पूंजी अभिलाभ को ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसमें स्थानांतरण हुआ था, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित करने की बजाय उस पर उपधारा (2)के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, अर्थात्:—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम खंड (क) से खंड (घ) में उल्लिखित सभी या किसी प्रयोजन के संबंध में उपगत लागत और व्ययों से (ऐसी लागत और व्ययों को इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) अधिक है तो पूंजी अभिलाभ की रकम और नई आस्ति की लागत के बीच के अंतर को धारा 45 के अधीन पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा; और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय किए जाने, अर्जित किए जाने, सन्निर्मित किए जाने या अंतरित किए जाने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, उसके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; या

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम, नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ को धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा, और किसी नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय किए जाने, अर्जित किए जाने, सन्निर्मित किए जाने या अंतरित किए जाने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, उसके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए, पूंजी अभिलाभ की रकम को लागत में से घटाकर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के खण्ड (यक) में है;

(ख) "शहरी क्षेत्र" से किसी नगर निगम या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, जनसंख्या, उद्योग संकेन्द्रण, क्षेत्र की समुचित योजना की आवश्यकता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित करे।

(2) पूंजी अभिलाभ की वह रकम जो निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) से खण्ड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के संबंध में उस तारीख से जिसको मूल आस्ति का अंतरण हुआ था, पहले एक वर्ष के भीतर उपगत लागत और खर्चों मद्दे विनियोजित नहीं की जाती है या जिसका धारा 139 के अधीन आय की विवरणी दिए जाने की तारीख से पहले पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसी विवरणी दिए जाने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या ऐसी संस्था में जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी दिए जाने के लिए निर्धारिती की दशा में लागू देय तारीख से किसी भी दशा में अपश्चात् नहीं किया जाना है] और उसका उपयोग इस निमित्त किसी ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विरचित करे, किया जाएगा और ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा, और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती द्वारा पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए पहले उपयोग की गई रकम, यदि कोई है, और इस प्रकार निक्षिप्त की गई रकम जोड़कर नई आस्ति की लागत समझी जाएगी:

परंतु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) से खण्ड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या भागत: उपयोग नहीं किया जाता है तो,—

(i) इस प्रकार उपयोग न की गई रकम उस पूर्ववर्ती वर्ष की जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है, आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित की जाएगी; और

(ii) निर्धारिती ऐसी रकम, पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार निकालने के लिए हकदार होगा;';

(ङ) धारा 80झक में, उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

"(13) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन को लागू नहीं होगी।";

(च) धारा 80झक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

विशेष आर्थिक जोन के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौतियां।

"80झकख. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो विकासकर्ता है, सकल कुल आय में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास के किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के शत प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का, निर्धारिती के विकल्प पर, उसके द्वारा उस वर्ष से, जिसमें किसी विशेष आर्थिक जोन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, आरंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती वर्षों के लिए दावा किया जा सकेगा:

परन्तु जहां किसी उपक्रम की, जो विकासकर्ता है, किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में धारा 80झक की उपधारा (13) के उपबंधों के लागू होने के कारण लाभ और अभिलाभ सम्मिलित नहीं किए गए थे वहां उपक्रम, जो विकासकर्ता है, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अनवसित अवधि के लिए ही इस धारा में निर्दिष्ट कटौती का हकदार होगा और उसके पश्चात् वह, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में उपबंधित किए गए अनुसार आय से कटौती के लिए पात्र होगा:

परंतु यह और कि ऐसी दशा में जहां कोई उपक्रम, जो विकासकर्ता है, जो किसी विशेष आर्थिक जोन का 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् विकास करता है और ऐसे विशेष

आर्थिक जोन का प्रचालन और अनुरक्षण किसी अन्य विकासकर्ता को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में अंतरिती विकासकर्ता कहा गया है) अंतरित करता है, वहां ऐसे अंतरिती विकासकर्ता को, उपधारा (1) के अधीन कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए उसी प्रकार अनुज्ञात की जाएगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण, अंतरिती विकासकर्ता को इस प्रकार अंतरित नहीं किए गए थे।

(3) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक जोन को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''विकासकर्ता'' और ''विशेष आर्थिक जोन'' के वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (छ) और (यक) में क्रमश: उनके हैं।';

(छ) धारा 80ठक के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: —

'80ठक. (1) जहां किसी निर्धारिती की,— अपतट बैंककारी यूनिटों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती।

(i) जो अनुसूचित बैंक या भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक है और जिसकी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिट है; या

(ii) जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट है,

सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी आय में से—

(क) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत, और उसके पश्चात्;

1949 का 10
1992 का 15

(ख) पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के पचास प्रतिशत,

के समतुल्य रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय—

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिट से; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित उपक्रम या किसी अन्य उपक्रम से, जो किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार से; या

1949 का 10

(ग) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी यूनिट से उसके ऐसे कारबार से जिसके लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे केन्द्र में स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है,

प्राप्त आय होगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ,—

(i) धारा 80ठक की उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन, जैसी कि वह इस धारा द्वारा उसके प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व थी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में धारा 228 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया; और

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिप्राप्त अनुज्ञा की प्रति, 1949 का 10

प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है;

(ख) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है; 1934 का 2

(ग) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है;

(घ) "यूनिट" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है;';

(ज) धारा 115ञख में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(6) इस धारा के उपबंध किसी उद्यमकर्ता या विकासकर्ता द्वारा, यथास्थिति, किसी यूनिट या किसी विशेष आर्थिक जोन में किए गए किसी कारबार या प्रदान की गई सेवाओं से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय को लागू नहीं होंगे।";

(झ) धारा 115ण में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

"(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, या तो विकासकर्ता की या उद्यमकर्ता या धारा 10 के खंड (23छ) के अंतर्गत न आने वाले ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों में वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसे विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास या विकास तथा प्रचालन या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में लगे किसी उपक्रम या उद्यम की कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा।";

(ञ) धारा 197क में उपधारा (1ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'(1घ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी अपतट बैंककारी यूनिट द्वारा: —

(क) किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए निक्षेप पर; या

(ख) किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लिए गए उधारों पर,

संदत्त ब्याज से कर की कटौती नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अपतट बैंककारी यूनिट" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (प) में उसका है।'।

तीसरी अनुसूची

(धारा 57 देखिए)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) का संशोधन

1. धारा 2ग की उपधारा (1) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,—

"परन्तु यह भी कि कोई बीमाकर्ता जो बीमा कारबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या इस उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई बीमा कारबार कर सकेगा।"।

2. धारा 2ग के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,—

इस अधिनियम के उपबंधों को विशेष आर्थिक जोन को लागू करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

"2गक. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध,—

(क) ऐसे बीमाकर्ता को लागू नहीं होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय है; या

(ख) ऐसे किसी बीमाकर्ता को जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय है, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ ही लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।"।

भाग 2

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) का संशोधन

1. धारा 53 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) में "बैंककारी कंपनी या संस्था को या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों को" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित किसी विशेष आर्थिक जोन में कार्य कर रही या अवस्थित बैंककारी कंपनी या संस्था को या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों को या उनकी शाखाओं में से किसी शाखा को"।

2. इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही जिस पर दोनों सदन सहमत हो गए हों, जारी की जाएगी।"।

भाग 3

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का संशोधन

धारा 3 के परन्तुक में खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,—

'(3) विकासकर्ता या यूनिट द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में या विशेष आर्थिक जोन के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के संबंध में निष्पादित कोई लिखत।'

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''विकासकर्ता'', ''विशेष आर्थिक जोन'' और ''यूनिट'' पदों के वही अर्थ हैं, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (छ), खंड (यक) और खंड (यग) में क्रमश: उनके हैं।'।